



भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं12-,केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. Government of India,
Ministry of Personnel, Public
Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex, Lodhi
Road, New Delhi - 110003.

Notice

Stenographer Grade 'C' and 'D' Examination, 2020

(Website of the Commission: https://ssc.nic.in)

Dates for submission of online applications: 10.10.2020 to 04.11.2020
Last date and time for receipt of applications: 04.11.2020 (23:30)
Last date and time for making online fee payment: 06.11.2020 (23:30)
Last date and time for generation of offline Challan: 08.11.2020 (23:30)
Last date for payment through Challan (during working hours of Bank): 10.11.2020
Dates of the Computer Based Examination: 29.03.2021 to 31.03.2021

F.No.3/8/2020-P&P-II: The Staff Selection Commission will hold an Open Competitive Computer Based Examination for recruitment to the posts of Stenographer Grade 'C' (Group 'B', Non-Gazetted) and Stenographer Grade 'D' (Group 'C') for various Ministries/ Departments/ Organizations in the Government of India. Only those candidates who have skills in stenography are eligible to apply.

2. Vacancies:

- (a) Vacancies will be determined in due course. Updated vacancy position will be uploaded on the website of the Commission from time to time (https://ssc.nic.in >Candidate's Corner > Tentative Vacancy).
- (b) Vacancies of Stenographer Grade 'C' and Stenographers Grade 'D' are in Ministries/ Departments/ Organizations of Central Government, including their Attached and Subordinate offices located in various States and Union Territories all over the country.

3. Reservation and suitability of posts for Persons with Disabilities:

- (a) Reservation for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS), Ex-Serviceman (ESM) and Persons with Disabilities (PwD), etc would be as determined and communicated by the Indenting Ministries/ Departments/ Offices/ Cadres, as per extant Government Orders.
- (b) The Commission makes selection of candidates in pursuance to the vacancies reported by the concerned User Departments for various posts. The Commission does not have any role in deciding the number of vacancies of any User Department. Implementation of

- reservation policy, maintaining reservation roster and earmarking of vacancies for different categories come under the domain of the User Departments.
- (c) Vacancies for ESM are reserved for only Group "C" posts as per extant Government Order/Instructions.
- Earlier, the posts of Stenographers Grade 'C' were identified suitable for the persons suffering from disabilities of One Arm affected (OA), One Leg affected (OL), Both Legs affected (BL), Blind (B) and LV (Low vision). And except for BRO, the posts of Stenographers Grade 'D' were identified suitable for the persons suffering from disabilities of One Arm affected (OA), One Leg affected (OL), One Arm and Leg affected (OAL), Both Legs affected (BL), Blind (B) and LV (Low vision). However, as the "Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" has come into force with effect from 19.04.2017 and new categories of disabilities such as Autism, Dwarfism, Acid Attack victims, Muscular Dystrophy, Intellectual Disability, Specific Learning Disability, Mental Illness and Multiple Disabilities, etc have been included. Therefore, the candidates with such disabilities may also apply giving details of their disabilities in the online Application Form. However, their selection will be subject to identification of posts suitable for these categories as well as reporting of vacancies by the Indenting Departments. Candidates suffering from various disabilities as identified vide DoP&T OM No: 36035/02/2017-Estt (Res) dated 15-01-2018 (para-2.2) may select following PwD categories in the online Registration/ Application Form at https://ssc.nic.in.

S. No.	Type of Disability	Category of disability to be
		selected in Registration/
		Application form
(a)	Blindness and low vision	VH
(b)	Deaf and hard of hearing	НН
(c)	Locomotor disability including cerebral palsy,	ОН
	leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and	
	muscular dystrophy.	
(d)	Autism, intellectual disability, specific learning	Others
	disability and mental illness.	
(e)	Multiple disabilities from amongst persons under	
	clauses (a) to (d) including deaf-blindness.	

- (e) PwD candidates having HH and Cerebral Palsy disabilities may also apply.
- (f) Requirement of Physical Standard, Physical Efficiency Tests and Medical Standards for the posts of Stenographer Grade 'D' in BRO is available at <u>Annexure-XV</u>. Candidates may ensure that they fulfill all the required standards before opting for the post of Stenographer in BRO. Posts once allocated as per merit-cum-preference given by the candidates will not be changed subsequently due to failure of the candidates to qualify in these Standards.
- (g) Only male candidates are eligible for the post of Stenographer Grade 'D' in the Border Roads Organization (BRO).

4. Nationality / Citizenship:

A candidate must be either: (a) a citizen of India, or

- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January,1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. Age Limit:

- (a) Stenographer Grade 'C': **18 to 30 years** as on **01.08.2020** i.e. candidates born not before 02-08-1990 and not later than 01-08-2002 are eligible to apply.
- (b) Stenographer Grade 'D': **18 to 27 years** as on **01.08.2020** i.e. candidates born not before 02-08-1993 and not later than 01-08-2002 are eligible to apply.
- (c) Permissible relaxation in upper age limit as specified in Para-5 (a) and 5 (b) above and category codes for claiming age relaxation are as follows:

Code No.	Category	Age-relaxation permissible beyond the upper age limit
01	SC/ ST	5 years
02	OBC	3 years
03	PwD (Unreserved)	10 years
04	PwD (OBC)	13 years
05	PwD (SC/ ST)	15 years
06	Ex-Servicemen (ESM)	03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application.
08	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof	03 years
09	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof (SC/ST)	08 years

	Permissible relaxation in upper age limit for Gro	oup 'C' posts only
10	Central Govt. Civilian Employees: Who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of online applications.	Up to 40 years of age
11	Central Govt. Civilian Employees: Who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of online applications. (SC/ST)	Up to 45 years of age
12	Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried.	Up to 35 years of age
13	Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (SC/ST)	Up to 40 years of age

- (d) Date of Birth filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the Matriculation/ Secondary Examination Certificate will be accepted by the Commission for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted.
- (e) Ex-servicemen (ESM) who have already secured employment in civil side under Government in Group 'C' & 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for reservation in ESM category and fee concession. However, he/ she can avail of the benefit of reservation as an ex-serviceman for subsequent employment if he/ she immediately after joining civil employment, given self-declaration/ undertaking to the concerned employer about the date-wise details of applications for various vacancies for which he/ she had applied for before joining the initial civil employment as mentioned in the **OM No. 36034/1/2014-Estt (Res) dated 14**th **August 2014 issued by DoP&T**.
- (f) The period of "Call up Service" of an Ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation as per rules.
- (g) For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Exserviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the Post/Service the status of ex-servicemen or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the closing date for receipt of applications. Such candidates must also acquire the status of an ex-serviceman within the stipulated period of one year from the closing date of receipt of application.
- (h) **Explanation:** An 'ex-serviceman' means a person
 - a. Who has served in any rank whether as a combatant or non combatant in the Regular Army, Navy or Air Force of the Indian Union, and
 - i. who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension; or

- ii. who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or
- iii. who has been released from such service as a result of reduction in establishment;

or

b. who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity, and includes personnel of the Territorial Army namely, pension holders for continuous embodies service or broken spells of qualifying service;

or

c. personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medical or other disability pension;

or

d. Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987;

or

e. Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army;

or

- f. Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension.
- (i) A matriculate ex-serviceman (which includes an ex-serviceman, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of service as on closing date of receipt of applications (i.e. **04.11.2020**) with Armed Forces of the Union shall be considered eligible only for appointment to the Group 'C' posts i.e. Stenographer Grade 'D' against posts reserved for ESM. Thus, those matriculate ex-Servicemen who have not completed 15 years of service as on the closing date for receipt of applications are not eligible for these posts.
- (j) Age relaxation is not admissible to sons, daughters and dependents of exservicemen. Therefore, such candidates should not indicate their category as ex-servicemen.

6. Process of certification and format of certificates:

(a) Candidates who wish to be considered against vacancies reserved or seek age-relaxation must submit requisite certificate from the competent authority, in the prescribed format, whenever such certificates are sought by concerned Regional Offices at the time of Document Verification. Otherwise, their claim for SC/ ST/ OBC/ EWS/ PwD/ ESM, etc status will not be entertained and their candidature/ applications will be considered under unreserved (UR) category. The formats of the certificates are annexed with the Notice of this Examination. The certificate of disability issued under the Persons with Disabilities

- (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) will also be valid. Certificates in any other format are liable to be rejected.
- (b) Crucial date for claim of SC/ ST/ OBC/ EWS/ PwD status will be closing date for receipt of online applications.
- (c) A person seeking appointment on the basis of reservation to OBC must ensure that he/ she possesses the caste/ community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date. The crucial date for this purpose will be the closing date for receipt of online applications.
- (d) Candidates may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned document is verified by the Appointing Authority. Candidates are cautioned that they will be debarred from the examination conducted by the Commission in case they fraudulently claim SC/ ST/ OBC/ EWS/ PwD/ ESM status.

7. Provision of Compensatory Time and assistance of scribe:

- (a) In case of persons with benchmark disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy, the facility of scribe is provided, if desired by the candidate. Since the posts are not identified suitable for persons with BA disability, therefore facility of scribe will not be admissible to such candidates.
- (b) In case of remaining categories of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe will be available on production of a certificate at the time of examination to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on his/ her behalf, from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government health care institution as per proforma at **Annexure-I.**
- (c) The candidate will have the discretion of opting for his/ her own scribe or the facility of scribe provided by the Commission. Appropriate choice in this regard will have to be given by the candidate in the online application form.
- (d) In case the candidate opts for his/ her own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking the examination. The candidates with benchmark disabilities opting for own scribe shall be required to submit details of the own scribe at the time of examination as per proforma at **Annexure-II**. In addition, the scribe has to produce a valid ID proof [as per list given at para-14(g)] in original at the time of examination. A photocopy of the ID proof of the scribe signed by the candidate as well as the scribe will be submitted along with proforma at **Annexure-II**. If, subsequently it is found that the qualification of the scribe is not as declared by the candidate, then the candidate shall forfeit his/ her right to the post and claims relating thereto.
- (e) A compensatory time of 20 minutes per hour of examination will be provided to the persons who are allowed use of scribe as described at para 7 (a) and 7 (b) above.
- (f) The candidates referred at para 7 (a) and 7 (b) who are allowed use of scribe but not availing the facility of scribe will also be given compensatory time of 20 minutes per hour of examination.
- (g) No attendant other than the scribe for eligible candidates will be allowed inside the examination hall.
- (h) One eyed candidates and partially blind candidates who are able to read the normal Question Paper set with or without magnifying glass and who wish to write/ indicate the answer with the help of magnifying glass will be allowed to use the same in the

- Examination Hall and will not be entitled to a Scribe. Such candidates will have to bring their own magnifying glass to the Examination Hall.
- (i) The PwD candidates who have availed the facility of Scribes/ Passage Reader and/ or compensatory time must produce relevant documents for the eligibility of scribe/ compensatory time at the time of Document Verification. Failure to produce such supporting documents will lead to cancellation of their candidature for the examination.

8. Educational Qualifications (As on 01.08.2020):

- (a) Candidates must have passed 12th standard or equivalent examination from a recognized Board or University.
- (b) As per Ministry of Human Resource Development Notification dated 10.06.2015 published in the Gazette of India all the degrees/ diplomas/ certificates awarded through Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government provided they have been approved by the Distance Education Bureau, University Grants Commission. However, such degrees should be recognized for the relevant period when the candidate acquired the said qualification.
- (c) As per UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 published in official Gazette on 23-06-2017, under Part-III (8) (v), the programmes in engineering, medicine, dental, nursing, pharmacy, architecture and physiotherapy etc are not permitted to be offered under Open and Distance Learning mode. However, pursuant to the Hon'ble Supreme Court Order dated 11-03-2019 in MA No. 3092/2018 in W.P. (C) No. 382/2018 titled Mukul Kumar Sharma & others Vs AICTE and others, B. Tech. degree/ diploma in Engineering awarded by IGNOU to the students who were enrolled up to academic year 2009-10 shall be treated as valid, wherever applicable.
- (d) All candidates who are declared qualified in the Computer Based Examination and the Skill Test will be required to produce all the relevant Certificates in original such as Mark sheets, Provisional Certificates etc. for completion of 12th standard or equivalent examination as proof of having acquired the minimum educational qualification on or before **01.08.2020**, failing which the candidature of such candidates will be cancelled by the Commission. The candidates who are able to prove, by documentary evidence, that the result of the qualifying examination was declared on or before the cut-off date and he/ she has been declared passed, will also be considered to meet the educational qualification. It is reiterated that the result of requisite educational qualification must have been declared by the concerned Board by the specified date. Mere processing of the result by the Board by the crucial cut-off date does not fulfill the EQ requirement.
- (e) Order/ letter in respect of equivalent Educational Qualifications will be required to be produced by the candidates at the time of Document Verification or as and when required by the Commission, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated, in respect of equivalent clause in Essential Qualifications, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of the Notice of examination.
- (f) Candidates who have not acquired the essential qualification as on **01.08.2020** will not be eligible and need not apply.

9. How to apply:

- (a) Applications are required to be submitted in online mode only at the official website of SSC Headquarters i.e. https://ssc.nic.in. For detailed instructions, please refer to Annexure-III and Annexure-IV of the Notice. Sample proforms of One-time Registration and online Application Forms are attached as Annexure-IIIA and Annexure-IVA.
- (b) In the online Application Form, candidates are required to upload the scanned colour passport size photograph in JPEG format (20 KB to 50 KB). The photograph should not be more than three months old from the date of publication of the Notice of Examination, and, the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph. Applications without such date printed on the photograph will be rejected. Image dimension of the photograph should be about 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible.
- (c) Last date and time for submission of online applications is **04.11.2020** (23:30).
- (d) Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection/inability or failure to login to the SSC website on account of heavy load on the website during the closing days.
- (e) The Commission will not be responsible for the candidates not being able to submit their applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reason beyond the control of the Commission.
- (f) Before submission of the online application, candidates must check that they have filled correct details in each field of the form. After submission of the online Application Form, no change/ correction/ modification will be allowed under any circumstances. Requests received in this regard in any form like Post, Fax, Email, by hand, etc shall not be entertained.

10. Application Fee:

- (a) Fee payable: Rs 100/- (Rs one hundred only)
- (b) Women candidates and candidates belonging to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Persons with disability (PwD) and Ex-servicemen (ESM) eligible for reservation are exempted from payment of fee.
- (c) Fee can be paid through BHIM UPI, Net Banking or by using Visa, Mastercard, Maestro, RuPay Credit or Debit card or in cash at SBI Branches by generating SBI Challan.
- (d) Online fee can be paid by the candidates up to **06.11.2020** (**23:30 hours**). However, candidates who wish to make payment through challan of SBI, may make the payment at designated branches of SBI within the working hours of bank up to **10.11.2020** provided the challan has been generated by them before **08.11.2020** (**23:30 hours**).
- (e) Candidates who are not exempted from fee payment must ensure that their fee has been deposited with SSC. If the fee is not received by SSC, status of Application Form is shown as 'Incomplete' and this information is printed on the top of the printout of online Application Form. Further, status of fee payment can be verified at the 'Payment Status' link provided in the candidate's login screen. Such applications which remain incomplete due to non-receipt of fee will be SUMMARILY REJECTED and no request for consideration of such applications and fee payment after the period specified in the Notice of Examination shall be entertained.

(f) Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor will it be adjusted against any other examination or selection.

11. Centres of Examination:

(a) A candidate must indicate the Centre(s) in the online Application Form in which he/ she desires to take the examination. Details about the Examination Centres and Regional Offices under whose jurisdiction these Examination Centres are located are as follows:

S. No	Examination Centres & Centre Code	SSC Region and States/ UTs under the jurisdiction of the Region	Address of the Regional Offices/ Website
1	Bhagalpur (3201), Muzaffarpur (3205), Patna (3206), Agra (3001), Bareilly (3005), Gorakhpur (3007), Jhansi (3008), Kanpur (3009), Lucknow (3010), Meerut (3011), Prayagraj (3003), Varanasi (3013).	Central Region (CR)/ Bihar and Uttar Pradesh	Regional Director (CR), Staff Selection Commission, 34-A, Mahatma Gandhi Marg, Civil lines, Kendriya Sadan, Prayagraj – 211001. (http://www.ssc-cr.org)
2	Port Blair (4802), Ranchi (4205), Bhubaneshwar (4604), Cuttack (4605), Sambalpur (4609), Gangtok (4001), Kolkata (4410), Siliguri (4415).	Eastern (ER)/ Andaman & Nicobar Islands, Jharkhand, Odisha, Sikkim and West Bengal	Regional Director (ER), Staff Selection Commission, 1st MSO Building, (8th Floor), 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata, West Bengal-700020 (www.sscer.org)
3	Belagavi (9002), Bengaluru (9001), Hubballi (9011), Kalaburagi (Gulbarga) (9005), Mangaluru (9008), Mysuru (9009), Shivamogga (9010), Udupi (9012), Ernakulam (9213), Kannur (9202), Kollam (9210), Kottayam (9205), Kozhikode (9206), Thiruvananthapuram (9211), Thrissur (9212).	Karnataka, Kerala Region (KKR)/ Karnataka, Kerala and Lakshadweep.	Regional Director (KKR), Staff Selection Commission, 1 st Floor, "E" Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, Bengaluru, Karnataka-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	Bilaspur (6202), Durg-Bhilai (6205), Raipur (6204), Bhopal (6001), Gwalior (6005), Indore (6006), Jabalpur (6007), Sagar (6015), Satna (6014), Ujjain (6016).	Madhya Pradesh Sub-Region (MPR)/ Chhattisgarh and Madhya Pradesh	Dy. Director (MPR), Staff Selection Commission, 5th Floor, Investment Building, LIC Campus-2, Pandri, Raipur Chhattisgarh-492004 (www.sscmpr.org)

5	Itanagar (5001), Dibrugarh (5102), Guwahati (Dispur) (5105), Jorhat (5107), Silchar (5111), Churachandpur (5502), Imphal (5501), Ukhrul (5503), Shillong (5401), Aizwal (5701), Kohima (5302), Agartala (5601).	North Eastern Region (NER)/ Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.	Regional Director (NER), Staff Selection Commission, Housefed Complex, Last Gate, Beltola- Basistha Road, P. O. Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati, Assam- 781006 (www.sscner.org.in)
6	Delhi (2201), Ajmer (2401), Alwar (2402), Bharatpur (2403), Bikaner (2404), Jaipur (2405), Jodhpur (2406), Kota (2407), Sikar (2411), Sriganganagar (2408), Udaipur (2409), Dehradun (2002), Haldwani (2003), Haridwar (2005), Roorkee (2006).	Northern Region (NR)/ Delhi, Rajasthan and Uttarakhand	Regional Director (NR), Staff Selection Commission, Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 (www.sscnr.net.in)
7	Chandigarh (1601), Hamirpur (1202), Shimla (1203), Jammu (1004), Samba (1010), Srinagar (1007), Leh (1005), Amritsar (1404), Jalandhar (1402).	North Western Sub-Region (NWR)/ Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Punjab	Dy. Director (NWR), Staff Selection Commission, Block No. 3, Ground Floor, Kendriya Sadan, Sector-9, Chandigarh- 160009 (www.sscnwr.org)
8	Guntur (8001), Kurnool (8003), Rajahmundry (8004), Tirupati (8006), Vijaywada (8008), Vishakhapatnam (8007), Puducherry (8401), Chennai (8201), Coimbatore (8202), Madurai (8204), Tiruchirapalli (8206), Tirunelveli (8207), Hyderabad (8601), Warangal (8603).	Southern Region (SR)/ Andhra Pradesh, Puducherry, Tamil Nadu and Telangana.	Regional Director (SR), Staff Selection Commission, 2 nd Floor, EVK Sampath Building, DPI Campus, College Road, Chennai, Tamil Nadu-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	Panaji (7801), Ahmedabad (7001), Rajkot (7006), Surat (7007), Vadodara (7002), Amravati (7201), Aurangabad (7202), Jalgaon (7214), Kolhapur (7203), Mumbai (7204), Nagpur (7205), Nanded (7206), Nashik (7207), Pune (7208).	Western Region (WR)/ Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Gujarat and Maharashtra	Regional Director (WR), Staff Selection Commission, 1st Floor, South Wing, Pratishtha Bhawan, 101, Maharshi Karve Road, Mumbai, Maharashtra-400020 (www.sscwr.net)

(b) A candidate may give option for three centres, in the order of priority, within the same region. No request for change of Centre of Examination will be considered later under any circumstances. Hence, the candidates should select the centers, carefully and indicate the same correctly in their applications.

(c) The Commission will endeavour to accommodate the candidates in centres opted by them. However, the Commission reserves the right to cancel any Centre and ask the candidates of that centre to appear from another centre. Commission also reserves the right to divert candidates of any centre to some other Centre to take the examination.

12. Scheme of Examination

(a) The details of the Computer Based Examination are mentioned below:

Date of	Part	Subject	No. of		Total Duration
Exam			Questions	Marks	
29.03.2021	I	General Intelligence &	50	50	2 Hours
to		Reasoning			(2 hours and 40 minutes
31.03.2021					for the candidates
	II	General Awareness	50	50	eligible for scribe as per
					Para-7 (a) and 7 (b)
					above)
	III	English Language	100	100	400,0)
		and Comprehension			

- (b) Question paper will be of Objective Type Multiple Choice only. The questions will be set both in English & Hindi.
- (c) There will be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. Candidates are, therefore, advised to keep this in mind while answering the questions.
- (d) Marks scored by candidates in the Computer Based Examination will be normalized by using the formula published by the Commission vide Notice No: 1-1/2018-P&P-I dated 07-02-2019 and such normalized scores will be used to determine final merit and cut-off marks.
- (e) Tentative Answer Keys of the Computer Based Examination will be placed on the website of the Commission after the Examination. Candidates may go through the Answer Keys and submit online representations, if any, within the time limit given by the Commission, on payment of Rs 100/- per question. Any representation regarding the Answer Keys received through the online modality within the time limit fixed by the Commission at the time of uploading of the Answer Keys will be scrutinized before finalizing the Answer Keys and the decision of the Commission in this regard will be final. Representations on the matter received through any other modalities e.g. letter, application, email, etc will not be entertained.
- (f) The dates of examination indicated in the Notice are tentative. Any change in the schedule of examination will be informed to candidates only through the website of the Commission.
- (g) There shall be no provision for re-evaluation/ re-checking in the Examination. No correspondence in this regard shall be entertained.

13. Indicative Syllabus for Computer Based Mode Examination:

(a) General Intelligence & Reasoning: It would include questions of both verbal and non-verbal type. The test will include questions on analogies, similarities and differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, non-verbal series etc. The test will also include

- questions designed to test the candidate's abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical functions.
- (b) <u>General Awareness</u>: Questions will be designed to test the ability of the candidates general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its Neighboring countries especially pertaining to Sports, History, Culture, Geography, Economic scene, General Polity including Indian Constitution, and Scientific Research etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline.
- (c) For VH candidates of 40% and above visual disability, there will be no component of Maps/ Graphs/ Diagrams/ Statistical Data in the General Intelligence & Reasoning/ General Awareness Paper.
- (d) English Language & Comprehension: In addition to the testing of candidates' understanding of the English Language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct usage, etc. his/ her writing ability, would also be tested.

(e) Skill Test in Stenography:

(i) The candidates who are shortlisted in the Computer Based Examination will be required to appear in the Skill Test for Stenography. The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi (as opted by the candidates in the online Application Form) at the speed of 100 word per minute (w.p.m) for the post of Stenographer Grade 'C' and 80 w.p.m. for the post of Stenographer Grade 'D'. The matter will have to be transcribed on computer. The transcription time is as follows:

S. No.	Post	Language of Skill Test	Time Duration (in minutes)	Time Duration (in minutes) for the candidates eligible for scribe as per Para-7 (a) and 7 (b) above
1	Stenographer Grade 'D'	English	50	70
2	Stenographer Grade 'D'	Hindi	65	90
3	Stenographer Grade 'C'	English	40	55
4	Stenographer Grade 'C'	Hindi	55	75

- (ii) Candidates who opt to take the Stenography Test in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa after their appointment, failing which their probation may not be cleared by appointing departments. Candidates have to work as English/ Hindi stenographers as per the functional requirement of the User Office irrespective of the medium of Skill Test of candidate during the examination.
- (iii) The Skill Test will be held at the Commission's Regional Offices or at other Centre(s) as may be decided by the Commission.

- (iv) Detailed instructions, if any, regarding Skill Test will be provided by the concerned Regional Offices of the Commission to the candidates called for the Skill Test.
- (v) Standard instructions regarding modality of evaluation of Skill Test is available at the Candidate's Corner Section on the Commission's website.

14. Admission to the Examination:

- (a) All candidates who register themselves in response to this advertisement by the closing date and time and whose applications are found to be in order and are provisionally accepted by the Commission as per the terms and conditions of the Notice of Examination will be assigned Roll numbers and issued Admission Certificates (AC) by the Regional/Offices of the Commission for appearing in the Computer Based Examination. Subsequently, qualified candidates will be issued Admission Certificates for the next stages of the Examination.
- (b) The Commission will not undertake detailed scrutiny of applications for the eligibility and other aspects at the time of written examination and, therefore, candidature will be accepted only provisionally. Candidates must to go through the requirements of educational qualification, age, etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post(s). Copies of supporting documents will be sought at the time of Document Verification. When scrutiny is undertaken, if any claim made in the online Application is not found substantiated, the candidature will be cancelled and the Commission's decision in this regard shall be final.
- (c) Admission Certificates for the Examination will be uploaded on the website of the concerned Regional Office of the Commission. Admission Certificate will not be issued by post for any stage of examination. Candidates are therefore advised to regularly visit the websites of the Commission Headquarters (i.e. https://ssc.nic.in) and concerned Regional Office of the Commission under whose jurisdiction the examination centres opted by the candidate are located (details at para-11(a)) for updates and information about the examination.
- (d) Information about the Examination indicating the time table and City/ Centre of examination for the candidates will be uploaded on the websites of the concerned Regional Office of the Commission about two weeks before the date of examination. If any candidate does not find his/ her detail on the website of the Commission, one week before the date of examination, he/ she must immediately contact the concerned Regional Office of the Commission with proof of having submitted his/ her application. Failure to do so will deprive him/ her of any claim for consideration.
- (e) Candidates must write Registration Number, registered Email-ID and Mobile Number along with name, date of birth and name of the examination, while addressing any communication to the Commission. Communication from the candidate not furnishing these particulars shall not be entertained.
- (f) Facility for download of Admission Certificates will be available 3-7 days before the examination on the website of concerned Regional Office. Candidate must bring printout of the Admission Certificate to the Examination Hall.
- (g) In addition to the Admission Certificate, it is mandatory to carry at least two passport size recent colour photographs, Original valid Photo-ID proof having the Date of Birth as printed on the Admission Certificate, such as:
 - i. Aadhaar Card/ Printout of E-Aadhaar,
 - ii. Voter's ID Card,

- iii. Driving License,
- iv. PAN Card,
- v. Passport,
- vi. School/ College ID Card,
- vii. Employer ID Card (Govt./ PSU/ Private), etc
- viii. Ex-serviceman Discharge Book issued by Ministry of Defence,
- ix. Any other photo bearing ID Card issued by the Central/ State Government.
- (h) If Photo Identity Card does not have the date of birth printed on it then the candidate must carry an additional original certificate in proof of their date of birth. In case of mismatch in the date of birth mentioned in the Admission Certificate and photo ID/ Certificate brought in support of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination.
- (i) PwD candidates using the facility of scribes as per Para 7(a) and 7(b) shall also be required to carry required Medical Certificate/ Undertaking/ Photocopy of the Scribe's Photo ID Proof, as specified therein. Candidates without these documents will not be allowed to appear in the examination.
- (j) Any other document mentioned in the Admission Certificate will be carried by the candidates while appearing in the Examination.
- (k) Applications with blurred photograph and/ or signature will be rejected.

15. Document Verification (DV):

- (a) All the candidates qualified for Document Verification are required to appear for Document Verification along with the photocopies and original documents as mentioned at Para: 15 (d).
- (b) Detailed options for various posts and departments will be taken from candidates either online or at the time of document verification. A candidate will not be considered for a Ministry/ Department/ Organization, if he/ she has not indicated his/ her preference for it. Options confirmed at the time of Document Verification will be treated as final and will not be changed subsequently under any circumstances. Therefore, candidates are must be careful in exercise of such options.
- (c) While giving preference of the posts/ Departments either online or at the time of Document Verification, the candidates may note that the Border Roads Organization (BRO) have specific requirement of Physical Standards, Physical Tests and Medical Standards. Candidates must ensure that they fulfill all the requirements of BRO before giving their preferences/ options. Measurement of Physical Standards and Physical and Medical Tests will be conducted by the BRO after final selection and nomination of candidates to BRO. Notification with regard to Physical/ Medical Standards, etc issued by BRO is placed at Annexure XV.
- (d) Candidates have to bring two passport size recent colour photographs and one original valid Photo ID Proof while appearing for the Document Verification. Photo ID Proof can be:
 - i. Aadhaar Card/ Printout of E-Aadhaar.
 - ii. Voter ID Card.
 - iii. PAN Card.
 - iv. Passport.

- v. Driving License.
- vi. Government School/ College ID Card.
- vii. Employer ID (Govt./ PSU).
- viii. Ex-serviceman Discharge Book issued by Ministry of Defence,
- ix. Any other Photo bearing ID Card issued by Central/ State Govt.
- (e) Candidates will have to submit copies of various documents like:
 - i. Matriculation/ Secondary Certificate.
 - ii. Educational Qualification Certificate.
 - iii. Order/ letter in respect of equivalent Educational Qualifications indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated, in respect of equivalent clause in Essential Qualifications, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of the Notice of examination.
 - iv. Caste/ Category Certificate, if belongs to reserved categories.
 - v. Persons with Disabilities Certificate in the required format, if applicable.
 - vi. For Ex-Servicemen (ESM):
 - 1) Serving Defence Personnel Certificate as per **Annexure-VI**, if applicable.
 - 2) Undertaking as per **Annexure-VII**.
 - 3) Discharge Certificate, if discharged from the Armed Forces.
 - vii. Relevant Certificate if seeking any age relaxation.
 - viii. Certificate as per <u>Annexure-V</u> by the Central Government Civilian Employees.
 - ix. No Objection Certificate, in case already employed in Government/ Government undertakings.
 - x. A candidate who claims change in name after matriculation on marriage or remarriage or divorce, etc. the following documents shall be submitted:
 - 1) In case of marriage of women: Photocopy of Husband's passport showing names of spouses or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from husband and wife along with a joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner;
 - 2) In case of re-marriage of women: Divorce Deed/ Death Certificate as the case may be in respect of first spouse; and photocopy of present husband's passport showing names of spouse or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from the husband and wife along with joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner.
 - 3) In case of divorce of women: Certified copy of Divorce Decree and Deed Poll/ Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner.
 - 4) In other circumstances for change of name for both male and female: Deed Poll/ Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner and

paper cuttings of two leading daily newspaper in original (One daily newspaper should be of the area of applicant's permanent and present address or nearby area) and Gazette Notification.

(f) Any other document specified in the Admission Certificate for DV

16. MODE OF SELECTION:

(a) Minimum qualifying marks in Computer Based Examination, are as follows:

i. UR: 30%

ii. OBC/ EWS: 25%

- iii. All other categories (SC, ST, PwD, ESM, etc): 20%
- (b) In the online application form, candidate will have to indicate the posts for which they are applying i.e. Stenographer Grade 'C' or Stenographer Grade 'D' or the both.
- (c) Based on the marks scored in the Computer Based Examination, candidates will be shortlisted, category-wise, to appear in the Skill Test(s) for the post(s) they have applied for.
- (d) Skill Test is mandatory but qualifying in nature. The Commission will fix category-wise qualifying standard in the Skill Test for each post. The candidates who qualify the Skill Test will be considered for final selection on basis of their merit in the Computer Based Examination.
- (e) Final selection and allocation of Ministries/ Departments will be made on the basis of the performance of candidates in the Computer Based Examination and the preference of Posts/ Departments exercised by them at the time of Document Verification.
- (f) While giving preferences of the posts/ Departments candidates may note that the Border Roads Organization (BRO) have specific requirement of Physical Standards, Physical Tests and Medical Standards. Candidates must ensure that they fulfill all the requirements of BRO before giving their preferences/ options. Measurement of Physical Standards and Physical and Medical Tests will be conducted by the BRO after final selection and nomination of candidates to BRO. Notification with regard to Physical/ Medical Standards, etc issued by BRO is placed at <u>Annexure XV</u>.
- (g) Once the candidate has been allotted first available preference, as per their merit, they will not be considered for any other option. Therefore, candidates must exercise preference of Posts/ Departments very carefully. The option/ preference once exercised by the candidates at the time of Document Verification will be treated as FINAL and IRREVERSIBLE. Subsequent request for change of Posts/ Departments by candidates will not be entertained under any circumstances.
- (h) The Commission makes final allotment of posts on the basis of merit-cum-preferences of Posts/ Departments given by the candidates and once a post is allotted, no change of posts will be made by the Commission due to non-fulfillment of any post specific requirements of physical/ medical/ educational standards. In other words, for example if a candidate has given higher preference for a post and is selected for that post; in that case, if he/ she fails to meet the medical/ physical/ educational standards of that post, his/ her candidature will be rejected and he/ she will not be considered for other preferences.
- (i) SC, ST, OBC, EWS, ESM and PwD candidates, who are selected on their own merit without relaxed standards, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such candidates will be accommodated against the general/unreserved vacancies in the

- post as per their position in the overall merit or vacancies earmarked for their category, whichever is advantageous to them. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the eligible SC, ST, OBC, EWS, ESM and PwD candidates.
- (j) SC, ST, OBC, EWS, ESM and PwD candidates who qualifies on the basis of relaxed standards viz. age limit, experience or qualifications, permitted number of chances, extended zone of consideration, etc., irrespective of his/ her merit position, is to be counted against reserved vacancies and not against un-reserved vacancies. Such candidates may also be recommended at the relaxed standards to the extent of number of vacancies reserved for them, to make up for the deficiency in the reserved quota, irrespective of their rank in the order of merit. In so far as cases of ex-serviceman are concerned, deduction of the military service rendered from the age of ex-servicemen is permissible against the reserved or unreserved posts and such exemption will not be termed as relaxed standards in regard to age. Similarly for PwD candidates, relaxation of 10 years in upper age limit will not be termed as relaxed standards.
- (k) A person with disability who is selected on own merit can be appointed against an unreserved vacancy provided the post is identified suitable for Persons with Disability of relevant category.
- (l) Success in the examination confers no right of appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service/ post.
- (m) The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all stages of the examination will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any time before or after the written examination, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled.
- (n) Candidates, who are appointed on the basis of this examination, shall be on probation for a period of two years and during the period of probation, the candidates would be required to undergo such training or pass such examinations as prescribed by the Controlling Authority. On successful completion of the period of probation, the candidates shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed to their post by the Controlling Authority.
- (o) Candidates selected for appointment are liable to serve anywhere in India i.e. all these posts carry All India Service Liability (AISL).
- (p) Candidates on final selection may be allotted a State/ UT/ Zone by the concerned User Ministry/ Department/ Organization. Such candidates may be required to acquire the proficiency in local language of the allotted State/ UT/ Zone for confirmation of the candidates to the allotted posts by the concerned User Ministry/ Department/ Organization.
- (q) If a candidate scoring more than cut-off marks in any Tier/ stage of the examination is not qualified for the subsequent stage/ final selection due to any reason, he/ she must represent to the concerned Regional Office of the Commission within two months of the declaration of the result or two weeks prior to the conduct of next stage of the examination, whichever is earlier.
- (r) If a candidate is finally selected and does not receive any correspondence from the Commission or the concerned User Department within a period of one year from the

declaration of final result, he/ she must communicate immediately thereafter with the concerned User Department.

17. Resolution of Tie Cases:

In case where more than one candidate secures equal aggregate marks in the Computer Based Examination, tie will be resolved by applying following methods one after another:

- a. Marks in Part-I (i.e. General Intelligence & Reasoning)
- b. Marks in Part-II (i.e. General Awareness)
- c. Date of birth, with older candidate placed higher.
- d. Alphabetical order in which names of the candidates appear.

18. Action against candidates found guilty of misconduct:

(a) If candidates are found to indulge at any stage in any of the malpractices listed below during the examination process, their candidature for this examination will be cancelled and they will be debarred from the examinations of the Commission for the period mentioned below:

S No	Type of Malpractice	Debarment period
1	Taking away any Examination related material such as OMR sheets, Rough Sheets, Commission Copy of Admission Certificate, Answer Sheet etc. from the examination hall or passing it on to unauthorized persons during the	2 Years
	conduct of examination.	
2	Leaving the Examination Venue uninformed during the Examination	2 Years
3	Misbehaving, intimidating or threatening in any manner with the examination functionaries' i.e. Supervisor, Invigilator, Security Guard or Commission's representatives etc.	3 Years
4	Obstruct the conduct of examination/ instigate other candidates not to take the examination.	3 Years
5	Making statements which are incorrect or false, suppressing material information, submitting fabricated documents, etc.	3 Years
6	Obtaining support/ influence for his/ her candidature by any irregular or improper means in connection with his/ her candidature.	3 Years
7	Possession of Mobile Phone in either 'switched on' or 'switched off' mode.	3 Years
8	Appearing in the same examination more than once in contravention of the rules.	3 Years
9	A candidate who is also working on examination related matters in the same examination.	3 Years
10	Damaging examination related infrastructure/ equipments.	5 Years
11	Appearing in the Exam with forged Admit Card, identity proof, etc.	5 Years
12	Possession of fire arms/ weapons during the examination.	5 Years
13	Assault, use of force, causing bodily harm in any manner to the examination functionaries' i.e. Supervisor, Invigilator, Security Guard or Commission's representatives etc.	7 Years
14	Threatening/ intimidating examination functionaries with weapons/ fire arms.	7 Years
15	Using unfair means in the examination hall like copying from unauthorized sources such as written material on any paper or body parts, etc.	7 Years
16	Possession of Bluetooth Devices, spy cameras, and any other electronic gadgets in the examination hall.	7 Years

17	Impersonate/ Procuring impersonation by any person.	7 Years
18	Taking snapshots, making videos of question papers or examination material,	7 Years
	labs, etc.	
19	Sharing examination terminal through remote desktop softwares/ Apps/ LAN/	7 Years
	VAN, etc.	
20	Attempt to hack or manipulate examination servers, data and examination	7 Years
	systems at any point before, during or after the examination.	

(b) The Commission may also report the matter to Police/ Investigating Agencies, as deemed fit and the Commission may also take appropriate action to get the matter examined by the concerned authorities/ forensic experts, etc.

19. Commission's Decision Final:

The decision of the Commission in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of examination(s), allotment of examination centres and preparation of merit list and allocation of posts/ departments, debarment for indulging in malpractices will be final and binding on the candidates and no enquiry/ correspondence will be entertained in this regard.

20. In accordance with the directions issued by DoP&T vide its O.M. No.39020/1/2016-Estt. (B) dated 21.06.2016 for increasing access of the unemployed candidates to job opportunities it has been decided that after declaration of final result the Commission will make the scores and rankings in the said open Competitive Examinations conducted by the Commission available on its website or on the website of National Career Service (NCS), Ministry of Labour and Employment in descending order of ranking. Accordingly, it has been decided that the following details of the candidates will be made available on its website: (i) Name of candidate. (ii) Father/ Husband's name (iii) Date of Birth (iv) Category (Gen/ SC/ ST/ OBC/EWS/ PwD/ ESM) (v) Gender of the candidate. (vi) Educational Qualifications. (vii) Total Marks obtained in the qualifying examination (viii) Ranking by which the merit is decided. (ix) Complete address (x) E-mail address However, the candidate will have the option, at the time of filling up of his/her application form, from opting out of disclosing the above details publicly. Accordingly, the scores and rankings in respect of only those candidates who have opted for disclosing the above details will be made available on the website of the Commission/ NCS.

21. Court's Jurisdiction:

Any dispute in regard to this recruitment will be subject to courts/ tribunals having jurisdiction over the place of concerned Regional/ Sub-Regional Office of the Commission where the candidate has appeared for the Computer Based Examination.

22. **Disqualifications:**

No person, (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living has entered into, or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

23 Important Instructions to Candidates:

	_
(a)	BEFORE APPLYING, CANDIDATES MUST GO THROUGH THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THE NOTICE OF EXAMINATION VERY CAREFULLY.
(b)	CANDIDATES IN THEIR OWN INTEREST SHOULD SUBMIT ONLINE APPLICATIONS MUCH BEFORE THE CLOSING DATE AND NOT TO WAIT TILL THE LAST DATE TO AVOID THE POSSIBILITY OF DISCONNECTION/ INABILITY OR FAILURE TO LOGIN TO THE SSC WEBSITE ON ACCOUNT OF HEAVY LOAD ON THE WEBSITE DURING THE CLOSING DAYS.
(c)	The Commission will not undertake detailed scrutiny of applications for the eligibility and other aspects at the time of written examination and, therefore, candidature will be accepted only provisionally. Candidates must go through the requirements of educational qualification, age, physical and medical standards etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post (s). Copies of supporting documents will be sought at the time of Document Verification. When scrutiny is undertaken, if any claim made in the application is not found substantiated, the candidature will be cancelled and the Commission's decision shall be final.
(d)	Candidates seeking reservation benefits available for SC/ ST/ OBC/ EWS/ ESM/ PwD must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed in the Notice. They should also be in possession of the certificates in the prescribed format in support of their claim.
(e)	Candidates with only benchmark physical disability would be considered as Persons with Disabilities (PwD) and entitled to age-relaxation/ reservation for Persons with Disabilities.
(f)	When application is successfully submitted, it will be accepted 'Provisionally'. Candidate should take printout of the application form for their own records. Normally, printout of the online Application Form is not required to be submitted to the Commission.
(g)	Only one online application is allowed to be submitted by a candidate for the Examination. Therefore, the candidates are advised to exercise due diligence at the time of filling their online Application Forms. In case, more than one applications of a candidate are detected, all the applications will be rejected by the Commission and his/her candidature for the examination will be cancelled. If a candidate submits multiple applications and appears in the examination (at any stage) more than once, his/her candidature will be cancelled and he/she will be debarred from the examinations of the Commission as per rules.
(h)	The candidates must write their name, date of birth, father's name and mother's name strictly as given in the matriculation certificate otherwise their candidature may be cancelled at the time of Document Verification or as and when it comes into the notice of the commission.
(i)	Applications with illegible/ blurred Photograph/ Signature will be rejected.
(j)	Request for change/ correction in any particulars in the Application Form, once submitted, will not be entertained under any circumstances.
(k)	Candidates must fill their correct and active e-mail addresses and mobile number in the online application as correspondence may be made by the Commission through e-mail/SMS.
(1)	Candidates must carry two passport size recent colour photographs and one original

	Photo ID Proof such as Aadhaar Card/ printout of E-Aadhaar, Driving License, Voter
	Card, PAN Card, Identity Card issued by University/ College/ Government,
	Employer ID Card, ESM Discharge Book issued by MoD, or any photo bearing ID
	card issued by Central/ State Government to the Examination Venue, failing which
	they will not be allowed to appear for the same. If Photo Identity Card does not have
	the Date of Birth printed in it, then the candidate must carry an additional original
	certificate in proof of their Date of Birth. In case of mismatch in the date of birth
	mentioned in the Admission Certificate and Photo ID/ Certificate brought in support
	of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination. PwD
	candidates using the facility of scribes as per Para 7(a) and 7(b) shall also be required
	to carry required Medical Certificate/ Undertaking/ Photocopy of the Scribe's Photo
	ID Proof, as specified therein.
(m)	In case of fake/ fabricated application/ registration by misusing any dignitaries name/
	photo, such candidate/ cyber cafe will be held responsible for the same and liable for
	suitable legal action under cyber/ IT act.
(n)	All the posts carry All India Service Liability (AISL) i.e. the candidate, on selection,
	may be asked to serve anywhere in the country.
(o)	If a candidate scoring more than cut-off marks at any Tier/ stage of the examination is
	not qualified for the subsequent stage/ final selection due to any reason, he/ she must
	represent to the concerned Regional Office of the Commission within two months of
	the declaration of the result or two week prior to the conduct of next stage of the
	examination, whichever is earlier.
(p)	If a candidate is finally selected and does not receive any correspondence
	from the Commission or the concerned User Department within a period of one year
	after declaration of result, he/ she must communicate immediately thereafter
	with the concerned User Department.
(q)	Fee payable: Rs 100/- (Rs one hundred only). Women candidates and candidates
	belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), Persons with disabilities
	(PwD) and ESM eligible for reservation are exempted from payment of fee.
(s)	In the online application form, candidates are required to upload the scanned colour
	passport size photograph in JPEG format (20 KB to 50 KB). The photograph should
	not be more than three months old and the date on which the photograph has been
	taken must be clearly printed on the photograph. Applications without such date
	printed on the photograph will be rejected. Image dimension of the photograph
	should be about 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height). The photograph should be without
	cap, spectacles and both ears should be visible.

Under Secretary (P&P-II)

Annexure-I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

1 mis	1S	το	certify	tnat,	1	nave	exan	nnea	IVIT/IN	VIS/IVITS
				(na	ame of	the cand	didate wi	th disabi	lity), a	person
with					(nature	e and	percentag	ge of	disabil	lity as
mention	ed in	the certi	ficate of dis	ability), S	S/o / D/o				_ a resi	dent of
			_ Village/I	District/Sta	ate) and	to stat	e that	he/ she	has p	hysical
limitatio	n whic	h hampe	ers his/ her v	vriting cap	pabilities	owning	to his/ h	er disabi	lity.	
									Sig	gnature
			Chief Med	lical Offic	cer/ Civil	Surgeo	n/ Medic	al Super	intende	nt of a
						Gov	ernment	health ca	are inst	itution
								Name &	d Desig	nation
			Nam	e of Gove	ernment l	Hospital	/ Health	Care Ce	ntre wit	th Seal
e:										
e:										

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/ disability (e.g. Visual impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopaedic specialist/ PMR)

Annexure-II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I	, a candidate with	(name of the
disability) appearing for t	the	(name of the examination)
bearing Roll No	at	(name of the
centre) in the District	,	(name of
the State/ UT) My qualifi	cation is	
I do hereby state th	hat	(name of the scribe) will
provide the service of scr	ribe/ reader/ lab assistant for the	he undersigned for taking the
aforesaid examination		
I do hereby undertake	e that his/ her qualification is _	In case,
subsequently it is found th	nat his/ her qualification is not a	as declared by the undersigned
and is beyond my qualific	cation, I shall forfeit my right t	to the post and claims relating
thereto		
	(Signature o	of the candidate with Disability)
re:		
2:		

(Procedure for filling online Application)

The process of filling online application for the examination consists of two parts:

- I. One Time Registration
- II. Filling of online Application for the Examination

Part-I (One-Time Registration)


- 1. Read the instructions given in the Notice of Examination carefully before filling up the online 'Registration Form' and 'Application Form'.
- 2. Before proceeding with One-Time Registration, keep the following information/documents ready:
 - a. Mobile Number (to be verified through OTP)
 - b. Email ID (to be verified through OTP).
 - c. Aadhaar Number. If Aadhaar Number is not available, please give one of the following ID Numbers. (You will be required to show the original document at a later stage):
 - i. Voter ID Card
 - ii. PAN
 - iii. Passport
 - iv. Driving License
 - v. School/College ID
 - vi. Employer ID (Govt./ PSU/ Private)
 - d. Information about the Board, Roll Number and Year of Passing the Matriculation (10th) Examination.
 - e. Disability Certificate Number, if you are a person with benchmark disability.
- 3. For One-Time Registration, click on 'Register Now' link provided in 'Login' Section on https://ssc.nic.in.
- 4. One-Time Registration process requires filling up of following information:
 - a. Basic details
 - b. Additional and contact details
 - c. Declaration.


5. For filling up the 'One-Time Registration Form', please follow the following steps:

- a. Few critical details (e.g. Aadhaar Number, name, father's name, mother's name, date of birth etc) are required to be entered twice, in the relevant columns of the Registration Form to avoid any inadvertent mistakes in filling up of the form. If there is mismatch between the original and verify data columns, it will not be accepted and an indication to this effect will be given in red text.
- b. S No-1, provide information about Aadhaar Number/ Identity Card and its Number. Any one of these Numbers is required to be given.
- c. S No-2: Fill your name **exactly** as given in Matriculation (10th Class) Certificate. In case, you have made any changes in your name after matriculation, indicate the same at S No-2c and 2d.
- d. S No-3: Fill your father's name **exactly** as given in Matriculation (10th Class) Certificate.
- e. S No-4: Fill your mother's name **exactly** as given in Matriculation (10th Class) Certificate.
- f. S No-5: Fill your date of birth **exactly** as given in Matriculation (10th Class) Certificate.
- g. S No-6: Matriculation (10th Class) Examination Details which include:
 - i. Name of Education Board
 - ii. Roll Number
 - iii. Year of passing

- h. S No-7: Gender
- i. S No-8: Level of Educational Qualification (highest).
- j. S No-9: Your Mobile Number. This must be a working mobile number as it will be verified through 'One Time Password' (OTP). It may be noted that any information which the Commission may like to communicate with you, will be sent on this mobile number only. Your mobile number will also be used for retrieval of password, if required.
- k. S No-10: Your Email ID. This must be a working Email ID as it will be verified through OTP. It may also be noted that any information which the Commission may like to communicate with you, will be sent on this Email ID only. Your Email ID will also be used for retrieval of password/ Registration Number, if required.
- 1. Provide detail of State/ UT of your Permanent Address.
- m. When the Basic Details provided at S No-1 to 10 are saved, you will be required to confirm your mobile number and email ID. On confirmation, your data will be save and your Registration Number will be displayed on the screen. Your Registration Number and Password will be provided to you on your mobile number and Email ID.
- n. You have to complete the Registration Process within 14 days failing which your Registration Details saved so far will be deleted.
- o. Login using your Registration Number as username and auto generated password provided to you on your mobile and email. Change your password, when prompted on first login.
- p. After successful password change, you need to login again using your Registration Number and changed password.
- q. On successful login, information about the 'Basic Details' so far filled by you will be displayed. You may edit it, if required or proceed further by clicking on 'Next' button at the bottom to complete your one-time Registration.
- r. S No-11: Provide information about your Category.
- s. S No-12: Provide information about your Nationality
- t. S No-13: Provide information about visible Identification Mark. You may be required to show the above Identification Mark at various stages of examination.
- u. S No-14: Provide information about benchmark disabilities, if any. If you are suffering from any specific benchmark disability identified suitable for government jobs, then provide Disability Certification Number.
- v. S No: 15 to 18: Provide information about your Permanent and Present Address. Save the data and proceed further to the last Part of the Registration Process.
- w. Save the information provided. Take draft printout and review the information filled in the Registration Form carefully, before 'Final Submit'.
- x. Read the 'Declaration' carefully, if you agree with the declaration, click 'I Agree'.
- y. Upon clicking 'Final Submit' different OTPs will be sent on your mobile number and Email ID. You need to enter one of the two OTPs at designated field to complete the Registration Process.
- z. After submission of Basic information, if the registration process is not completed within 14 days, your data will be deleted from the system.
- 6. After completion of registration process, 'Basic Details' can be changed only twice. THEREFORE BE EXTREMELY CAUTIOUS WHILE MAKING ONE TIME REGISTRATION.
- 7. YOU ARE AGAIN ADVISED THAT NAME, FATHER'S NAME, MOTHER'S NAME, DATE OF BIRTH, MATRICULATION EXAMINATION DETAILS SHOULD BE FILLED EXACTLY AS RECORDED IN MATRICULATION CERTIFICATE. YOUR CANDIDATURE MAY GET CANCELLED IN CASE OF INCORRECT/WRONG INFORMATION.

Screenshots of One-time Registration Form






Staff Selection Commission

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003






Staff Selection Commission

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

© 2018 SSC. All Rights Reserved. Last updated on **04 Mar, 2020** Archives Disclaimer Sitemap Help Website Policies


Web Information Manager




Part-II (Online Application Form)


- 1. Before proceeding with filling of online application, keep the following data ready:
 - a. Recent (i.e. not more than three months old from the date of publication of the Notice of Examination) scanned colour passport size photograph in JPEG format (20 KB to 50 KB). Image dimension of the photograph should be about 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible. The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.
 - b. Scanned signature in JPEG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height). **Applications with illegible signature will be rejected**.
- 2. Login to online system through your Registration Number and password.
- 3. Click 'Apply' link in 'Stenographer Grade 'C' & 'D' Examination 2020' section under 'Latest Notifications' tab.
- 4. Information in columns at S No-1 to 14 will be automatically filled from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of One-Time Registration details, click on 'Modify Registration' tab provided at the left hand top corner of your dashboard and make suitable corrections before proceeding further.
- 5. S No-15: Select whether you possess the knowledge of Stenography or not. You will be allowed to fill the application only if you possess the knowledge of Stenography.
- 6. S No-16: Give your preference of Examination Centers. You may choose examination Centers within the same Region. Choice for all the three Centers must be given in the order of preference.
- 7. S No-17: If you are an ex-serviceman, fill up the required information. Wards of servicemen/ex-servicemen are not treated as ex-servicemen.
- 8. S No-18: If you are eligible for availing the facility of scribe as per Para-7 of the Notice of examination, provide information about the requirement of scribe.
- 9. S No-19: Select medium of Skill Test i.e. English or Hindi. Choice of medium of Skill Test cannot be changed subsequently.
- 10. S No-20: Select the Posts you are applying for i.e. (i) Stenographer Grade 'C' or (ii) Stenographer Grade 'D' or (iii) Both. No change in the posts you are applying for will be allowed subsequently.
- 11. S No-21: If you are seeking age relaxation, select appropriate age-relaxation category.
- 12. S No-22: Indicate your highest qualification.
- 13. S.No-23: Provide details of qualifying educational qualification
- 14. S No-24: See the Notice of Examination, **Para No: 20** and fill up accordingly.
- 15. S No-25, 26 and 27: Information with regard to Present and Permanent Address will be filled up automatically from the One-time Registration Data.
- 16. Upload your recent Photograph (not more than three months old from the date of publication of the Notice of Examination) as specified at S. No-1a above. Ensure that the date on which the photograph has been taken is clearly printed on it as the applications without the date on the photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.
- 17. Upload your signature as specified at S.No-1b above. **Applications with blurred signatures will be rejected.**

- 18. Go through the undertaking you need to give for appearing in the examination and if you agree, click on "I agree" check box and fill up Captcha code.
- 19. Preview and verify the information provided by you. If you want to modify any entry, click on 'Edit/ Modify' button and make requisite corrections before proceeding further. When you are satisfied that the information is correctly filled, preview and verify the information and submit the Application. You will not be able to make any correction in the online application after submission of the application.
- 20. Proceed to make fee payment if you are not exempted from payment of fee.
- 21. Fee can be paid through BHIM UPI, Net Banking or by using Visa, mastercard, Maestro, RuPay Credit or Debit card or in cash at SBI Branches by generating SBI Challan. Refer Para-10 of the Notice of Examination for further information on the payment of fee.
- 22. When application is successfully submitted, it will be accepted 'Provisionally'. Candidates must take printout of the application form for their own records. Normally, printout of the 'Application Form' is not required to be submitted to the Commission at any stage. However, if there is any discrepancy in the data, copy of the printout may be demanded by the Commission.



Annexure-IVA (2/3)





FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES SEEKING AGE-RELAXATION

It is certified	that *Shri/Smt./Km			is a	Centra
Government Civ	vilian employee holding	the post	of		
	in the	pay scale of R	.s		_ with
years regular se	rvice in the grade as on	closing date.			
		Sign	ature		
			Name _		
		Offic	ce Seal		
Place:		0111			
Date:					

Annexure-VI

FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING DEFENCE PERSONNEL

	I hereby	certify	that,	according	to	the	information	available	with	me	(No.)
			(Rank))			(Name)				is
	due to cor	mplete tl	he spe	cified term	of h	is er	ngagement wi	th the Arm	ned Fo	rces	on the
	(Date)			·							
		(Signature of Commanding Officer)					:)				
									Office	e Sea	1
Place:											
Date:											

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

	.,bearing Roll NoExa	
	s admissible to Ex-Servicemen in terms of Civil Services and Posts Rules, 1979, as a	
Autonomous Bodies/ Statu	rnment job on civil side (including Public tory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in availing of the benefits of reservation gives	Group 'C' and 'D'
	f reservation as ex-serviceman for securingon	
submitted the self-declarati		dertake that I have bout date wise detail
civil side. I have joined as	f reservation as ex-serviceman for securing	in the office of
knowledge and belief. I unders	ove statements are true, complete and constand that in the event of any information idature/ appointment is liable to be cancel	being found false or
	Signature:	
	Name:	
	Roll Number:	
	Date:	
	Date of appointment in Armed Forces:	
	Date of Discharge:	
	Last Unit/ Corps:	
	Mobile Number:	
	Email ID:	

FORMAT FOR SC/ ST CERTIFICATE

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati	/Kumari*			on/daughter of
	of	village/to	wn/*	
District/Division*	of	the		Territory*
bel	longs to the		caste/ Trib	es* which is
recognized as a Scheduled Castes/Sc	heduled Trib	es* under:	-	
@The Constitution (Scheduled Ca	astes) Order,	1950		
@The Constitution (Scheduled Tribe	es) Order, 195	50		
@The Constitution (Scheduled Case	tes) Union T	erritories	Order, 1951	
@ The Constitution (Scheduled Tribe	es) Union Te	rritories O	rder, 1951	
[As amended by the Scheduled Cast	tes and Sched	duled Trib	es Lists(Modifi	cation) order.
1956, the Bombay Reorganization			*	
the State of Himachal Pradesh Act			Ŭ	
1971; the Scheduled Castes and Sc			, ,	
State of Mizoram Act, 1986, the S		,		
Daman and Diu (Reorganisation) Ac			,	,
© The Constitution (Jammu & Kashmir) So	cheduled Cas	tes Order.	1956	
@The Constitution (Andaman and				Order.
1959 as amended by the Sch		,		· ·
(Amendment Act), 1976.				
The Constitution (Dadra and Nagar Have	eli) Scheduled	Castes or	der 1962.	
The Constitution (Dadra and Nagar Have				
@The Constitution (Pondicherry) Schedule	*			
@The Constitution (Uttar Pradesh) Schedul	led Tribes Or	der, 1967		
The Constitution (Goa, Daman & Diu) So	cheduled Cas	tes Order,	1968	
The Constitution (Goa, Daman & Diu) So	cheduled Trib	es Order	1968	
@ The Constitution (Nagaland) Scheduled	Tribes Order,	, 1970		
@The Constitution (Sikkim) Scheduled Cas	stes Order 19	78		
@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tr	ibes Order 19	978		
@The Constitution (Jammu & Kashmir) Sc	heduled Trib	es Order 1	989	
@ The Constitution (SC) orders (Amendme	ent) Act, 1990)		
@The Constitution (ST) orders (Amendmen	nt) Ordinance	1991		
@ The Constitution (ST) orders (Second Ar	mendment) A	ct, 1991		
@ The Scheduled Castes and Schedules Tri	ibes Orders (A	Amendme	nt) Act, 2002	

@The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

@The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002

(Amendment) Act, 2002

@The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate	is issued on the basis of the So	cheduled C	Castes/ Sched	uled Tribes
certificate	issued			to
Shri/Shrimati*		F	ather/mother	of
Shri/Srimati/Kumari*_				of
village/town*	in District/Division	*		of the
	*who belong			
	Scheduled Caste/Scheduled			
	issued by the			
•	•			
%3. Shri/Shrimati/Kur	nari*		and /or [;]	* his/her family
	village/ town*			
	Union Territory* of			
	·			
		Signature_		
		_		
	***	Designation		·.1 1 C CC: \
			,	ith seal of office)
			State/	Union Territory*
Place:				
Date:	<u> </u>			

- *Please delete the words which are not applicable
- @ Please quote specific presidential order
- % Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

- ** List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates:
- (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Dy.Collector/ Ist Class Stipendiary Magistrate/ +Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
- + (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- (v) Administrator/ Secretary to Administrator/ Development Officer (Lakshadweep).

(FORMAT OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari	son/daughter
	village/town
in District/Division	in
the State/Union Territory belongs to the	
Community which is recognized as a backward class under the Government	ment of India,
Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No	
dated*.	
Shri/Smt./Kumari and/or his/her family ordinarily	
theDistrict/Division of the	State/Union
Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the pe	ersons/sections
(Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Scheduled to the Government of the Column 3 of the Scheduled to the Government of the Scheduled to the Scheduled to the Government of the Scheduled to the Scheduled	,
Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) d	
O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 9 th March, 2004, O.M. No.3603	
(Res) dated 14 th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) da	nted 27 ^m May,
2013**.	
Signature-	
Designation	\$
Dated:	
Seal	

\$- List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled caste/ Scheduled Tribe Certificates.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

^{*-} The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate's is mentioned as OBC.

^{**-} As amended from time to time.

Government of

	(Name & Address	of the authority issui	ng the certificate)	
			DUCED BY ECONOMIC	ALLY WEAKER SECTIONS
Certif	ficate No		Date	
	\	ALID FOR THE YEAR		
This is	to certify that Shi	i/Smt./Kumari	of	son/daughter/wife of
Village	permanen /Street	Post Office	District	, :in
the Sta atteste her 'far	ate/ Union Territory d below belongs to E	/conomically Weaker B Lakh (Rupees Eight	Pin Code Sections, since the gro Lakh only) for the fina	Whose photograph is ss annual income* of his/incial year His/
II. R III R		O sq. ft. and above; O sq. yards and above	e in notified municipalit and above in areas	ies; other than the notified
2.	Shri/Smt./Kuma	ri	belongs to t	hecaste
	is not recognized as			Other Backward Classes
		Signature with s	seal of Office	
		Na	ame	
	Passport size a photograph of the ap			

^{*}Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. :e 2: The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/ her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

te 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Annexure-XI

Form-V Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

		Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.
Certificate No.		Date:
		ly examined Shri/Smt./Kum. hri Date of
Birth (DD/MM/YY)	Age years, n	nale/female
registration No.	permanent resident	of House No.
Ward/Village/Street	Post Off	rice District
	, whose photograph	is affixed above, and am satisfied
that:		
(A) he/she is a case of:locomotor disabilitydwarfism		
blindness		
(Please tick as applicable)		
(B) the diagnosis in his/her case	e is	
permanent locomotor disabilit	y/dwarfism/blindness in rel	percent (in words) lation to his/her (part of of issue of the guidelines to be
2. The applicant has subm	itted the following documen	nt as proof of residence:-
Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Annexure-XII

Form - VI Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities) [See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Cer	tificate	e No.	Date:		
Thi	s is	.	sc	on/wife/daughter	examined Shri/Smt./Kum. of Shri DD/MM/YY)
Age	e	_ years, male/female		-· -·	
D	. : - 4 4 !	a NI.a		.4: J4 .£ I	U N.
Keg	gistrati	on No.	permanei	nt resident of i	House No State
wa	ra/vIII	lage/Street	_ Post Office	1	District State
		, whose photograph	is affixed abo	ove, and am satis	fied that:
imp issu	airme ie of th	nt/disability has been ev	aluated as per fied) for the d	guidelines (ent of permanent physicalnumber and date of below, and is shown against
3	S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
	1.	Locomotor disability	@		
	2.	Muscular Dystrophy			
	3.	Leprosy cured			
	4.	Dwarfism			
	5.	Cerebral Palsy			
	6.	Acid attack Victim			
	7.	Low vision	#		
	8.	Blindness	#		
	9.	Deaf	£		
	10.	Hard of Hearing	£		
	11.	Speech and Language disability			
	12.	Intellectual Disability			
	13.	Specific Learning Disability			
	14.	Autism Spectrum Disorder			
	15.	Mental illness			
	16.	Chronic Neurological			

	Conditions		
17.	Multiple sclerosis		
18.	Parkinson's disease		
19.	Haemophilia		
20.	Thalassemia		
21.	Sickle Cell disease		

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:

In figures	s : percent	
In words	:	percent

- 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
- 3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till -----

(DD) (MM) (YY)

- @ e.g. Left/right/both arms/legs
- # e.g. Single eye
- £ e.g. Left/Right/both ears
- 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name	and	Seal	of	the
			Chair	person		

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Annexure-XIII

Form – VII Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate) (See rule 18(1))

Recent passport size

attested photograph (Showing face only) of the person with disability

				person with disability
Certificat	te No.	Date:		
	certify that I have carefu/Kum_	•		son/wife/daughter of Shri
				f Birth (DD/MM/YY)
				Registration No.
	permanent	resident of H	House No.	Ward/Village/Street
	Post	Office		District
State	. W	hose photogr	aph is affixed	above, and am satisfied that
he/she is	s a case of	1 8	1	disability. His/her extent of
		nt/disability	has been ev	valuated as per guidelines
				fied) and is shown against the
	disability in the table belo		are to or speci	iii u) uiiu ii iii ii uguiiii uii
1010 / 00110	and well of the twell extended			
S. No	Disability	Affected	Diagnosis	Permanent physical
		part of body	8	impairment/mental
				disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language			
	disability			
10.	Intellectual Disability			
11.				
	Disability			
12.	L .			
- 10	Disorder			
13.	L			
14.	\mathcal{E}			
15	Conditions Multiple selections			
15.				
16.	Haemophilia			
	Thalassemia			
1 10	L LUGUASSELLUA	•	i contract of the contract of	

19. Sickle Cell disease

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is improve.	progressive/non-progressive/like	ely to improve/not likely to
3. Reassessment of disability is	::	
(i) not necessary, or		
(ii) is recommended/after	years	months, and therefore this
	l till (DD/MM/YY)	
@ - eg. Left/Right/both arms/le	egs	
# - eg. Single eye/both eyes		
€ - eg. Left/Right/both ears		
	the following document as proo	f of residence:
Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing
		certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned
{Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical authority who is
not a Government servant (with seal)}

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

Annexure-XIV

Essential Educational Qualification Code

Educational Qualification	Code
Intermediate/ Higher Secondary/ 12 th Standard	02
Certificate Course	03
Diploma	04
BA	05
BA (Hons.)	06
B. Com.	07
B.Com. (Hons.)	08
B.Sc.	09
B.Sc. (Hons.)	10
B. Ed.	11
LLB	12
BE	13
B. Tech	14
AMIE (Part A & Part B)	15
B.Sc. (Engg.)	16
BCA	17
BBA	18
Deemed Graduation Certificate issued by the Armed Forces	19
B. Lib.	20
B. Pharm.	21
ICWA	22
CA	23
PG Diploma	24
MA	25
M.Com.	26
M. Sc.	27
M.Ed.	28
LLM	29
ME	30
M. Tech.	31
M. Sc. (Engg.)	32
MCA	33
MBA	34
Others	35

Physical Efficiency Test, Physical and Medical Standard for the Posts of Stenographer Grade 'D' in Border Roads Organization (BRO)

1 Physical Efficiency Test

- (i) Criteria for Physical Efficiency Tests are placed as 'Schedule-I' of the Notification The Physical Efficiency Tests will be conducted at GREF Centre or respective Recruitment Centre as applicable, by a Board of Officers, detailed by the Headquarters, Director General Border Roads.
- Physical Standards Region wise requirement of Physical Standards of personnel for recruitment in GREF (Border Roads Organization) is placed as 'Schedule-II' of the Notification.
- 3 (A) <u>Medical Standards</u> The specified Medical Standards are requirement for recruitment of candidates for their service in GREF (BRO) as per their job profile, charter of duties and anticipated deployment, including extreme remote areas, high altitude areas and difficult areas of hilly terrain etc. Medical Standards have been specified in 'Schedule-III' of the Notification.
- (B) Medical Examination & Medical Tests: Medical examination and medical tests will be carried out as per guidelines of this Notification for each provisionally selected candidate. The Medical Examination will be carried out by a Medical Board nominated by HQ DGBR. The guidelines to be followed for conduct of Medical Examination and the procedure for declaring candidates as Temporary or Permanent UNFIT are enumerated in succeeding sub-paras:
 - (i) After detailed checking of all documents, Officer-In-Charge Recruiting Section will handover medical papers (duly affixed with passport size photograph) of selected candidates to Medical Board of respective Recruitment Centre, including GREF Centre, and the candidates will report as per schedule decided Medical examination of provisionally selected candidates will be carried out by two Medical Officers at each Recruitment Centre including GREF Centre.
 - (ii) Recruitment Medical Board will examine the medical fitness of the candidates as per guidelines of this Notification.

- (iii) Candidates found medically fit or unfit will be informed of their medical result by the **Medical Board** themselves so that the candidates are clear about their position.
- (iv) Where the medical officer needs the opinion of a Specialist, the case will be referred to Military Hospital or any service/ Army Hospitals in proximity of respective Recruitment Centre or GREF Centre Based on the day of the OPD of concerned Specialist, doctor would personally brief the candidate about the conduct of medical examination at Military Hospital and subsequent procedure.
- (v) Medical papers in respect of fit and unfit candidates will be given to Recruiting Section/ Mobile Regional Recruitment Team by MI Room after completion of medical examination preferably on the same day of medical examination but not later than 5 days from the date of examination.
- (vi) Details about cases referred to Military Hospitals or any Service/ Army Hospitals will also be informed by Medical Board to Recruiting Section simultaneously.
- (vii) Referred cases returned by Medical Specialist duly reviewed by concerned Specialist will be disposed of by Regimental Medical Officer expeditiously according to the remarks of Specialist and Recruiting Section be informed simultaneously by Regimental Medical Officer.
- (viii) **Temporarily Unfit:** Candidates declared temporarily UNFIT will be divided in two categories:
 - (a) Temporarily Unfit due to Medical Reasons: Candidates who are declared Temporary UNFIT due to medical reasons will be informed of their disability in writing by Medical Board and Officer-In-Charge Recruiting or Board of Officer or Mobile Regional Recruitment Team. Such candidates have a right to appeal against the medical examination conducted by the Recruitment Centre Medical Board and such appeal should be made within the period of 60 days from the date of being declared temporarily unfit initially by the Medical Board of Recruitment Centre. Such candidates should report for medical examination by Specialist 05 (five) days in advance with an appeal and will be referred to concerned Specialist of nearest Military

Hospital/ Service Hospital on Review Certificate in duplicate. Such candidates will not be required to deposit Rs 40/- as fees for remedical examination. If such candidates are found UNFIT again on review, no further chance will be given for re-medical examination and their candidature shall stand cancelled automatically. After re-medical examination, if candidates are found FIT, the whole process of induction shall be completed within a period of six months from the date of initial medical examination. In case induction is not completed within a period of six months from the date of initial medical examination, candidature of such a candidate for recruitment shall stand cancelled automatically, where delay is due to acts attributable to the candidate himself.

- (b) Temporarily Unfit for being Below Physical Standards: Candidates declared Temporary UNFIT due to physical standards will also be informed of their disability or shortcoming in writing by the Medical Board and Officer-In-Charge Recruiting or Board of Officer or Mobile Regional Recruitment Team. Candidates protesting in writing against Physical measurements will be once again measured by Medical Board of Recruitment Centre in the presence of Commandant or Officer-In-Charge Recruiting in case Medical Examination is carried out at GREF Centre and in the presence of Board of Officers in case it is carried out at Mobile Regional Recruitment Team Centre within 24 hrs of the Medical Examination. Candidates declared Temporary UNFIT for being Below Physical Standards in weight or Chest measurement only will be given a reasonable time not exceeding two months from the date of initial Medical Examination for attaining the desired standards. After re-measurement, if candidate is found FIT the whole process of induction shall be completed within a period of six months from the date of initial medical examination. In case induction is not completed within a period of six months from the date of initial medical examination, candidature of such a candidate for recruitment shall stand cancelled automatically, where delay is due to acts attributable to the candidate himself.
- (ix) <u>Permanently Unfit:</u> Candidates declared Permanent UNFIT also will be divided in two categories:

- (a) Permanently Unfit due to medical reasons: Candidates who are declared Permanent UNFIT by the Medical Board will be informed of their disability in writing by the Medical Board and Officer-In-Charge Recruiting or Board of Officers. Such candidates have a right to appeal against the present medical examination within a period of 60 days of their being declared permanently unfit. In case such candidates should report at GREF Centre or Recruitment Zone 05 (Five) days in advance with an appeal for re-medical examination, the Medical Board will refer such candidates to the nearest service hospital on Review certificate in duplicate. Such candidates will be required to deposit a sum of Rs 40/- in Govt. treasury at SBI before the re-medical examination by the service Specialist is done. All such cases which are declared UNFIT again on review by the concerned Specialist, will not be given any further chance for re-medical Examination/ Review and their candidature shall stand cancelled automatically. After re-medical examination, if candidates are found FIT, the whole process of induction shall be completed within a period of six months from the date of initial medical examination. In case induction is not completed within a period of six months from the date of initial medical examination, candidature of such a candidate for recruitment shall stand cancelled automatically, where delay is due to acts attributable to the candidate himself.
- (b) Permanently Unfit for being Below Physical Standards: For candidates declared Permanent UNFIT by Medical Board due to being below physical standards with respect to height, no appeal can be made against physical measurements. However candidates protesting against physical measurements will be once again measured by Medical Board in presence of Officer-In-Charge Recruiting or Commandant GREF Centre or Board of Officers or Mobile Regional Recruitment Team (MRRT) as the case may be on the very same day.
- (x) <u>Visual standards:</u> Visual acuity not less than 6/12 each eye or Right eye 6/6, Left 6/24. Corrective spectacles are permitted during the visual test. Unaided vision in case of corrected vision will not be below 6/60 in each eye and on correction will be same as laid down for other recruits.

- (xi) <u>Surgery:</u> Any candidate who have recently undergone abdominal surgery (e.g.: in Hernia, Muscle defect, Nephrolithotomy, Cholelithiasis, Cholecystotomy) are liable to be made Unfit for one year as per existing rules. However, the provision of medical appeal for permanent unfit cases remains the same i.e. within 2 months. In such cases same criterion as for eye surgery cases should be followed as above.
- (C) <u>Medical Fitness:</u> Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are medically fit shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.
- (i) Border Roads Organisation is a Central Govt. Organisation with all India transferable liabilities. BRO is governed by Central Civil Services Rules. However, certain provisions of Army Act-1950 are also applicable to members of the Force.
 - (ii) The final selection of the candidates selected by Staff Selection Commission and GREF Centre will be subject to pass the Medical fitness test. Medical Board detailed by Headquarters Director General Border Roads will carry out the medical fitness test of the candidates declared selected by SSC and GREF Centre.
 - (iii) Candidates declared medically 'FIT' by the Medical Board, will be inducted in General Reserve Engineer Force (BRO) subject to fulfillment of all other criteria and have to undergo initial training at GREF Centre, Dighi Camp, Pune-15.
 - (iv) After imparting training at GREF Centre, they will be posted anywhere in India as per available vacancies.
- 4 <u>Cancellation of candidature:</u> If any, candidate is absent on the date of reporting for Medical Examination or during Medical Examination or does not report for Medical Review within prescribed time limit, his candidature shall be cancelled automatically. No representation/ appeal in this regard will be entertained by the department.
- Power to relax rules: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Saving: Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Exserviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule-I

PHYSICAL EFFICIENCY TEST (FOR GROUP 'B' NON-GAZETTED AND GROUP 'C' POSTS)				AND GROUP 'C' POSTS)
S No	S No ACTIVITY		MAXIMUM MARKS	TIME AVAILABLE
1.	ONE	MILE RUN	NLY PASSING THE TEST IS MANDATORY 10 MINUTES	

NOTE: (i) ONE MILE RUN TO BE COMPLETED WITHIN THE SPECIFIED TIME.

(ii) CANDIDATES QUALIFYING THROUGH STAFF SELECTION COMMISSION WILL HAVE TO MANDATORILY PASS THE TEST IN ONE MILE RUN TO BE HELD AT GREF CENTRE, PUNE TO UNDERGO FURTHER MEDICAL EXAMINATION.

Schedule-II

REGION-WISE PHYSICAL STANDARDS OF PERSONNEL

S	Region	egion States/ Region included		Physical Standards		
No			Minimum Height	Chest	Minimum Weight	
(a)	Western Himalayan	J&K, Himachal Pradesh, Punjab Hills (Area South and west of the Inter State Border between Himachal Pradesh and Punjab and North and East of Road of Mukerian Hoshiarpur, Garh Shankar, Ropar and Chandigarh), Uttarakhand	158 Cms	Minimum 75 Cm (Unexpanded) and expansion by 5 Cm	47.5 Kgs	
(b)	Eastern Himalayan Region	Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam & Hill region of West Bengal (Darjeeling and Kalimpong districts and Andaman Nicobar)	152 Cms	Minimum 75 Cm (Unexpanded) and expansion by 5 Cm	47.5 Kgs	
(c)	West Plain Region	Plain Rajasthan, Western UP		Minimum 76 Cm (Unexpanded) and expansion by 5 Cm	50 Kgs	
(d)	Eastern Plain	Eastern UP, Bihar, West Bengal & Orissa and Jharkhand	157 Cms	Minimum 75 Cm (Unexpanded) and expansion by 5 Cm	50 Kgs	
(e)	Central Region	Gujrat, Maharastra and Madhya Pradesh, Dadar Nagar & Haveli, Daman & Diu and Chaattisgarh	157 Cms	Minimum 75 Cm (Unexpanded) and expansion by 5 Cm	50 Kgs	
(f)	Southern Region Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Goa and Pondicherry, Telangana		157 Cms	Minimum 75 Cm (Unexpanded) and expansion by 5 Cm	50 kgs	
(g)		o sons of serving/ Ex-GREF personnel)	2 Cms	1 Cm	2 Kgs	
(h)	(h) Relaxation in DD cases (this will be applicable to own son adopted son and not any other relative			1 Cm	2 Kgs	
(j)) Gorkhas (Indian Domicile)			Minimum 75 Cm (Unexpanded) and expansion by 5 Cm	47.5 Kgs	

MEDICAL STANDARDS OF RECRUITMENTS FOR GREF

General

1 Every recruit must be sufficiently intelligent, free from nervous instability and be in possession of sound health. He shall have no constitutional or acquired disability as may in the opinion of Recruiting Medical Officer render him unfit for duties, in the organization, particularly at high altitude and hard areas.

General examination

It is absolutely essential in all cases to have the recruits stripped while carrying out medical examination. Due regard be paid to privacy and decency. It is not sufficient that the clothing be only partially removed. An underwear may be permitted except when the examination is being carried out involving private parts. Every part of the body must be examined and if a recruit does not submit to this even after persuasion, he will be rejected. Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearms i.e. from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/ back (dorsal) side of hand. However, in case of an obscene, vulgar or objectionable tattoo, the DDG (Pers)/ Comdt GREF Centre will take a final decision on acceptability/ unacceptability of such tattoo. The decision of the DDG (Pers)/ Comdt GREF Centre in the matter shall be final. Permanent body tattoos on any other part of the body is not acceptable and candidate will be barred from further screening.

Responsibility for physical fitness

The examining Medical Board is responsible for checking the physical fitness of the recruits, the likelihood of their physical development and for their identification marks. The Board will also enter on the enrolment form any minor defects insufficient to cause rejection. In the case of fit recruits the Board will make the necessary entry on the enrolment form, the wording used being Fit-category GREF-I and return it to the enrolling officer. The signature of the examining Medical Officer on the enrolment form will be accepted as equivalent to a declaration that he has personally examined the recruit in question according to the existing instructions and that the recruit has no blemish or defect except those noted on the enrolment form. Remarks relating to any defects in the recruit will be endorsed in the medical examiner's own handwriting. When there are no distinctive marks this must be stated.

Medical History Sheet GREF/ MED/ 2A

- This is a document of great importance which is linked to claims for disability pension on soldier's discharge from the service Medical items in table No 1 of GREF/ MED/ 2A will be completed by the Medical Board GREF/ MED/ 2A.
- Any failure of officers concerned to give attention to the preparation and maintenance of these documents, and inaccuracy in or insufficiency of the entries therein may cause considerable delay, much expense and grave injustice to the person recruited. Medical Officers will, therefore, take every care to ensure that all necessary entries are carefully and accurately made at the time of examination.
- Marks and small defects are to be noted concisely and clearly in the space allotted for the purpose in order to facilitate the men's future identification. Special attention should always be drawn to any defects which may influence decision on possible claims for pension in the future.

RULES GOVERNING MEDICAL INSPECTION OF CANDIDATES IN GREF Principal points in Medical Examination of Candidates

- 7 Principle points in medical examination of recruits. In the inspection of candidates the principle points to be attended to, are as under:
 - a) That the candidate is sufficiently intelligent (Any defect may be observed during the examination).
 - b) That his bearing is good and that there is no sign of disease of ear, nose and throat.
 - c) That his vision with either eye is up to the required standard, his eyes are bright, clear and with no obvious squint, nystagmus or other abnormality. Movement of eye balls should be full and free in all directions.
 - d) That his speech is without impediment.
 - e) That he has no glandular swelling.
 - f) That his chest is well formed, and that his heart and lungs are sound.
 - g) That his limbs are well formed, and fully developed.
 - h) That there is free and perfect action of all the joints.

- i) That his feet and toes are well formed.
- j) That he has no congenital malformation or defects.
- k) That he does not bear traces of previous acute or chronic diseases pointing to an impaired constitution.
- I) That he possesses sufficient number of sound teeth for efficient mastication.
- m) That he has no disease of the genitor-urinary tract.

Ground for permanent rejection

- 8 Candidates presenting with following conditions will be rejected:
 - a) General impaired Constitution with frail health (BMI less than 18).
 - b) Abnormal Gait.
 - c) Abnormal Posture (Kyphosis, Scoliosis or Lordosis).
 - d) Gross physical deformity of chest, (pigeon chest, Barrel shaped chest, pectus excavatum, Harrison's sulcus & joints (Knock knee bow, leg, flat feet etc).
 - e) Defective Intelligence.
 - f) Deafness.
 - g) Pronounced Stammering.
 - h) Mental and nervous instability includes coarse Digital Tremors, palmar & plantar Hyperhydrosis and Tachycardia (Pulse rate more than 100/ min).
 - j) Sexually Transmitted diseases.
- k) Any degree of squint or nystagmus.
 - Cases of colour blindness.
 - m) Corneal Opacities effecting binocular vision of the individual.
 - n) Perforation of Tympanic membrane.
 - o) Chronic Suppurative Otitis Media/ Mastoiditis.
- p) Loss or decay of teeth to such an extent as to interfere with proper mastication. Dental points less than 14.
 - q) Chronic Lung Infection.

- r) Endocranial Disorder.
- s) Cardiac murmur or Hypertension (BP>140/95 mm Hg).
- t) Gross degree myopia & cases of corneal surgery for refractive error.
- u) Healed fracture with implants or ankylosis of effected joints due to fracture.
- v) Any amputation effecting in the working efficiency of individual.
- w) Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearms i.e. from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/ back (dorsal) side of hand. However, in case of an obscene, vulgar or objectionable tattoo, the DDG (Pers)/ Comdt GREF Centre will take a final decision on acceptability/ unacceptability of such tattoo. The decision of the DDG (Pers)/ Comdt GREF Centre in the matter shall be final. Permanent body tattoos on any other part of the body is not acceptable and candidate will be barred from further screening.

Grounds for Temporary Rejection:

- 9 Following are the grounds for temporary rejection:
 - (a) Pterygium
 - (b) Conjunctivitis
 - (c) Defective Vision (corrected with glasses, 6/6 in both eyes is acceptable)
 - (d) Trachoma Grade III
 - (e) Deviated Nasal Septum
 - (f) Chronic Tonsillitis
 - (g) Few decayed teeth (corrected with denture is acceptable)
 - (h) Pityriasis Versicolor
 - (j) Tinea Cruis, Scabies, Eczema etc
 - (k) Planter Warts
 - (I) Hydrocele, Hernia, Vericocele
 - (m) Vericose Veins
 - (n) Phimosis, Fissure in ano or abscess, Haemorrohoids
 - (o) Acute infection of respiratory tract
 - (p) Gynaecomastia
 - (q) Anaemia
 - (r) Hepatospleenomegaly
 - (s) BMI above 30 (Should bring down BMI to below 30 within 3 months will be accepted)

Acceptance of Candidates with Minor Defects:

- 10 Candidates presenting with mild degree of following defects may be accepted:
 - (a) Mild Flat Feet but flexible and Hammer toes.
 - (b) Mild knock knee (Inter malleolic distance 5 cms).
 - (c) Mild Bow Legs (Inter condylar distance 7 cms).
 - (d) Mild Degree of Sephena varix.
 - (e) Slight degree of Vericocele, or undescended testis (Not arrested in inguinal region).

- (f) Healed perforation of Ear drums.
- (g) Healed Trachoma without residual gross deformity.
- (h) Slight stammering.
- (j) Mild hyperhydrosis.
- (k) Mild degree phimosis or Hypospodiasis.
- (I) Perforation in the ear drums which has healed and closed leaving a firm healthy scar (Tympanoplasty done).
- (m) Slight curvature of leg.
- (n) Slight hammer toe.
- (o) Mild degree of varices.
- (p) Tenea versicolor (Only after treatment).
- (q) DNS (Acceptable after treatment).
- Officer will not interfere with work efficiency of the candidate in future provided the candidate conforms to the prescribed standards in all respects. The mild problem if any must be recorded in the documents. An undertaking from the candidate be taken that there is no past history of seizure, leprosy, diabetes, tuberculosis or HIV infection. All cases of past healed operations carried out will be noted in medical case sheet.

The foregoing relaxation is permissible only in the case of recruit who conform to the prescribed standards of measurements.

Time limit for clearance of any unfit by Higher Reviewing Authority

- 11 (a) All cases of **permanent unfit** may be reviewed by higher medical authority and should declare him unfit/ fit within 01 month duration since the time of unfit declaration.
 - (b) All <u>temporary unfit</u> cases may be reviewed by higher medical authority within 3 months (90 days) to clear him fit/ unfit since the time of unfit declaration.
- In all cases where a recruit is suffering from a minor defect is accepted, the Medical Board will fully satisfy themselves that the defect will not, in any way, affect the efficiency of the recruit as a subordinate serving in BRO.
- Whenever recruits who are suffering from minor defects as mentioned in Para 10 above are accepted, the defects will invariably be noted in the medical history sheet GREF/ MED/ 2A.
- Recruits suffering from minor health problems of ordinary nature such as simple sores, shoe bite, common cold coughs and similar other minor ailments which usually last only a few days may be accepted. Medical Board before accepting such

a recruit must fully satisfy themselves that the disease is likely to be cured in a few days without indoor treatment. Normally, unless the recruit is required to meet some urgent demand which cannot be met readily, he should be advised to get himself treated and come again. If recruit who is suffering from a minor disease of any nature is accepted, no entry need to be made of the disease in the medical history sheet GREF/ MED/ 2A.

The decision of the Medical Board in all cases of rejection due to not meeting the required medical standards will be final.

__***__





भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं12-,केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road, New
Delhi - 110003.

विज्ञप्ति

आशुलिपिक श्रेणी 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2020

(आयोग की वेबसाईट: https://ssc.nic.in)

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख: 10.10.2020 से 04.11.2020 तक आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 04.11.2020 (23:30 बजे तक) ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि: 06.11.2020 (23:30 बजे तक) ऑफलाइन चालान तैयार करने की अंतिम तिथि: 08.11.2020 (23:30 बजे तक) चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान): 10.11.2020 कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख: 29.03.2021 से 31.03.2021 तक

फा.सं.3/8/2020-(नी. एवं यो.-II): कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिए आशुलिपिक श्रेणी 'ग'(समूह 'ख' अराजपत्रित) और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' (समूह 'ग') की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। केवल आशुलिपि में कुशलता प्राप्त अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

2. रिक्तियां:

- (क) रिक्तियों की संख्या के बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। रिक्तियों की अद्यतन संख्या समय-समय पर आयोग की वेबसाइट (https://ssc.nic.in>Candidate's Corner>Tentative Vacancy) पर अपलोड की जाएगी।
- (ख) आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की रिक्तियां देशभर में विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में हैं।

3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण और उपयुक्तता:

- (क) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(अकव), भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) और दिव्यांगजन (दि.जन) इत्यादि अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों द्वारा होगा।
- (ख) आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका

- नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना तथा विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल समूह 'ग' पदों हेतु विद्यमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार रिक्तियां (T) आरक्षित हैं।
- पूर्व में, आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के पद एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै), दोनों पैर (दो.पै.), दृष्टिहीन(दृ.) तथा (ঘ) अल्प दृष्टि (अ.दृ) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए थे और सीमा सड़क संगठन(बी.आर.ओ.) को छोड़कर आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के पद एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै), एक बांह एवं पैर (ए.बां. एवं पै), दोनों पैर (दो.पै.), दृष्टिहीन(दृ.) तथा अल्प दृष्टि (अ.दृ) की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए थे। तथापि, जैसाकि "दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हुए हैं और दिव्यांगता की नई श्रेणियां, जैसे- ऑटिज़्म, बौनापन, एसिड हमले से पीडि़त तथा मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता और बहु दिव्यांगता इत्यादि भी इसमें शामिल की गयी हैं, अतः ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्योरा देकर आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के साथ-साथ मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की प्राप्ति के अध्यधीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 36035/02/2017-स्थापना (आरक्षण), दिनांक 15-01-2018 (पैरा-2.2) के अनुसार निर्दिष्ट की गई विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी <u>https://ssc.nic.in</u>. पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों का चयन कर सकते हैं।

क्रम सं	दिव्यांगता का प्रकार	पंजीकरण / आवेदन पत्र में चयन की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(ক)	नेत्रहीनता और अल्प दृष्टि	दु.दि
(ख) ———	बधिर तथा कम सुनने वाला	श्र.दि
(刊) 	गतिविषयक दिव्यांगता सहित प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीडि़त तथा मांसपेशीय दुर्विकास	अ.दि
(घ)	ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता और मानसिक रूणता।	अन्य
(ই)	बिधर-नेत्रहीनता सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-दिव्यांगता दिव्यांग एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात ग्रसित दिव्यांगजन भी आनेट	

- श्रवण दिव्यांग एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात ग्रसित दिव्यांगजन भी आवेदन कर सकते है। (ङ)
- सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में आशुलिपिक समूह 'घ' पद के लिए शारीरिक मानदंडों, शारीरिक क्षमता (审) परीक्षाओं और चिकित्सीय मानकों का ब्यौरा <u>अनुबंध XV</u> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन में आशुलिपिक पद के लिए विकल्प देने से पूर्व सभी अपेक्षित मानकों को पूरा कर रहे हैं । योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार पदों का एक बार आबंटन होने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा इन मानकों को पूरा करने में असफल रहने के कारण, बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (छ) सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं।

4. राष्ट्रीयता/नागरिकताः

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो, या
- (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया , मालावी,जायरे, इथिओपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

5. आयु सीमाः

- (क) आशुलिपिक श्रेणी पा : **01.08.2020** को **18 से 30 वर्ष** अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1990 से पहले और 01.08.2002 के बाद न हुआ हो, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- (ख) आशुलिपिक श्रेणी 'घ' : **01.08.2020** को **18 से 27 वर्ष** अर्थात अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1993 से पहले और 01.08.2002 के बाद न हुआ हो, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- (ग) उपरोक्त पैरा 5(क) और 5 (ख) में यथा-विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता तथा आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड नीचे दिए गए हैं :-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त
		आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अ पि व	03 वर्ष
3.	शा दि(अनारक्षित)	10 वर्ष
4.	शा दि (अपिव)	13 वर्ष
5.	शा दि (अजा/ अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक(भूपूरी)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त	03 वर्ष
	इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	05 41
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
केवल समृ	ह 'ग' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट	100 pt 10
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी: जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक

11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी: जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से	45 वर्ष की आयु तक
12.	कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा/अजजा) विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं /अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं /अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

- (घ) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में भरी गई जन्मतिथि तथा वही मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार या स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (इ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूपूसे श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.जा.सं. 36014/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।
- (च) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।
- (छ) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अविध के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अविध पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अविध के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।
 - (ज) स्पष्टीकरणः भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-
 - (क) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
 - (i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों अथवा नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए गए हों, किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
 - (ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
 - (iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
 - (ख) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान

दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं,नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

- (ग) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा
- (घ) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल,1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (इ) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (च) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।
- (झ) एक मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् 04.11.2020) को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए समूह 'ग' अर्थात आशुलिपिक श्रेणी 'घ' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अतः ऐसे मैट्रिकुलेट भूपूसै, जिन्होनें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।
- (ञ) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अत: ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:

- (क) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा,जब इन प्रमाणपत्रों की आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव /अकव/शादि/भूपूर्सै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को, सामान्य(अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांग व्यक्ति(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम,1995 (1996 का ।) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (ख) अजा/अजजा/अपिव/अकव/शादि/भूपूसै स्थिति के दावे की निर्णायक तिथि, ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।
- (ग) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- (घ) अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पृष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव / अकव/ भूपूसै/ शा.दि. दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

7. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:

(क) दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता(दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड, दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती

- है। चूँिक यह पद दोनों बांह प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अत: ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी।
- (ख) न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, अनुबंध-I पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।
- (ग) अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैआ की गई प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा।ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- (घ) यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की [पैरा 14(छ) पर दी गई सूची के अनुसार] मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध -II पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के अलावा प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।
- (इ) ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7(क) और 7(ख) में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- (च) पैरा 7(क) और 7(ख) में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- (छ) परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ज) एक आंख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना या दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमित दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।
- (झ) शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

8. शैक्षिक योग्यताः (01.08.2020 को)

- (क) अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो ।
- (ख) भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धित के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सिंहत समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्तें, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।
- (ग) भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) के तहत दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धित के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, निर्मिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं।तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं

- अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्लू पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगी
- (घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में अर्हक घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को 01.08.2020 को अथवा उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संगत मूल प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट, अनंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। यह दोहराया जाता है कि बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तारीख तक अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कट-ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पूरी नहीं होती
- (ङ) यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता का परीक्षा की विज्ञप्ति की अपेक्षा के अनुसार समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उस प्राधिकार(संख्या और दिनांक सहित) का उल्लेख किया गया हो, जिसके द्वारा उसे अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष माना गया हो।
- (च) दिनांक-01.08.2020 तक अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है और उन्हे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

9. आवेदन कैसे करें:

(क) आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात https://ssc.nic.in पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध- III और अनुबंध- IV का संदर्भ ले। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुबंध-IIIA और अनुबंध-

IVA के रूप में संलग्न हैं।

- (ख) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह स्पष्टतः फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए ।ऐसे बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 04.11.2020 (23:30) है।
- (घ) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- (ङ) आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (च) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/ सुधार/ संशोधन करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध, जैसे- डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. आवेदन शुल्क:

- (क) देय शुल्कः 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए)।
- (ख) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।
- (ग) शुल्क का भुगतान भीम .यू.पी.आई/भा. स्टेट बैंक चालान/नेट बैकिंग अथवा वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान तैयार कर भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं पर नकद के माध्यम से किया जा सकता है।
- (घ) ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की सुविधा 06.11.2020 (23:30 बजे) तक उपलब्ध होगी। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 10.11.2020 तक बैंक के कार्य-समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नगद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने 08.11.2020 (23:30 बजे) तक चालान तैयार कर लिया है।
- (ङ) जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग में जमा हो गया है। यदि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैआ किए गए लिंक "Payment Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन, जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण रहती है, उनको सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा की विज्ञिप्त में विनिर्दिष्ट अविध के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (च) एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

11. परीक्षा केन्द्र

(क) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उस केन्द्र (केन्द्रों) को दर्शाना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के ब्यौरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है:-

सं. शासित चयन आयोग क्षेत्र क्षेत्रीय निर्देशक (म.क्षे), 1. भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर(3205), पटना(3206), आगरा(3001), बरेली(3005), गोरखपुर (3007), झांसी(3008), कानपुर(3009), लखनऊ(3010), मेरठ(3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी(3013) मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय निर्देशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, वी-स्थान कार्यागराज (211 001 (http://www.ssc-cr.org) 2. पोर्ट ब्लेयर(4802), रांची(4205), भुवनेश्वर(4604), सम्बलपुर(4609), कोलकाता(4410), सिलीगुड़ी(4415). पूर्वी क्षेत्र (म.क्षे.)/ पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, केमिलकाता(4410), सिलीगुड़ी(4415). क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वांतल) 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस			5.34.17 B. 18	
पटना(3206), आगरा(3001), बेरेली(3005), गोरखपुर (3007), झांसी(3008), कानपुर(3009), लखनऊ(3010), मेरठ(3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी(3013) 2. पोर्ट ब्लेयर(4802), रांची(4205), भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), सम्बलपुर(4609), गंगटोक(4001), कोलकाता(4410), सिलीगुड़ी(4415). बिहार और उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महातमा गांधी मार्ग, सिवित लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज 211 001 (http://www.ssc-cr.org) थेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वांतल) 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस	क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड		मार्था न नवनाटीका का क्षा
पश्चिम बंगाल -700020 (www.sscer.org)		पटना(3206), आगरा(3001), बरेली(3005), गोरखपुर (3007), झांसी(3008), कानपुर(3009), लखनऊ(3010), मेरठ(3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी(3013) पोर्ट ब्लेयर(4802), रांची(4205), भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), सम्बलपुर(4609), गंगटोक(4001)	बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा,	कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211 001 (http://www.ssc-cr.org) क्षेत्रीय निर्देशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वांतल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता,

3.	बेलगवी(9002), बेंगलूरू(9001),	कर्नाटक, केरल क्षेत्र	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र),
] ,		(क.के.क्षे.) /	कर्मचारी चयन आयोग,
		कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप	प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन,
	मैसूरू(9009), शिमोगा(9010),	पानाटपा, पारल जार लवाश्चाप	कोरमंगला बेंगलुरू, कर्नाटक-
	उडुपी(9012), एरणाकुलम(9213),		560034
	कन्तूर(9202), कोल्लम(9210),		(www.ssckkr.kar. nic.in)
	कोइयम(9205), कोझिकोड(9206),		
	तिरुवनंतपुरम(9211), त्रिशूर(9212)		. 65
4.	बिलासपुर(6202), दुर्ग-भिलाई (6205),	The same states and the same states are stated as a second state of the same states are stated as a second state of the same state of the	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.),
	रायपुर(6204), भोपाल(6001),	(म.प्रे.क्षे.) /छत्तीसगढ़ और	SC 10 1000000 10 VE 30 MARIENA 10 V
	ग्वालियर(6005), इंदौर(6006),	मध्य प्रदेश	5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग,
	जबलपुर(6007),		एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर,
	सागर(6015), सतना(6014),		छत्तीसगढ़-492004
	उज्जैन(6016).		(www.sscmpr.org)
5.	इटानगर(5001), डिब्रूगढ़(5102),	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो क्षे.) /	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी
	गुवाहाटी (दिसपुर)(5105), जोरहाट	अरुणाचल प्रदेश, असम,	चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स,
	(5107), सिलचर(5111),	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,	लास्ट गेट, बेलतला-बशिष्ठ रोड,
	चुड़चन्द्रपुर(5502), इम्फाल(5501),	नागालैंड और त्रिपुरा।	डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर,
	उखरूल (5503), शिलांग(5401),		गुवाहाटी, असम-781006
	आइजोल(5701), कोहिमा(5302),		(www.sscner.org.in
	अगरतला(5601)		3,000 to 30
6.	दिल्ली (2201), अजमेर(2401),	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / रा.स.क्षे.	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.),
	अलवर(2402), भरतपुर(2403),	दिल्ली, राजस्थान और	कर्मचारी चयन आयोग,
	बीकानेर(2404), जयपुर(2405),	उत्तराखंड	ब्लॉक संख्या 12,
	जोधपुर(2406), कोटा(2407),		सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
	सीकर(2411), श्रीगंगानगर(2408),		लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
	उदयपुर(2409), देहरादून(2002),		(www.sscnr.net.in)
	हल्द्वानी(2003), हरिद्वार(2005), रुड़की		
	(2006).		
7.	चण्डीगढ़(1601), हमीरपुर(1202),	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.)
	शिमला(1203),		कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक
	जम्मू(1004), सांबा(1010), श्रीनगर	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,	
	(1007), लेह(1005),		केन्द्रीय सदन , सेक्टर-9, चंडीगढ़-
	अमृतसर(1404),जालंधर(1402)	The second second	160009
	(2.0.0), (2.02)		(www.sscnwr.org)
8.	गुंदूर(8001), कर्नूल(8003),	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.),
J.,	राजमुंदरी(8004), तिरुपति(8006),		कर्मचारी चयन आयोग,
	विजयवाड़ा(8008),	तमिलनाडु और तेलंगाना।	दूसरा तल, ईवीके संपत
	विशाखापत्तनम(8007),	जानरामाञ्च जार राजनामा	दूसरा तला, इवाक सपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज
	पुडुचेरी(8401), चेन्नई(8201) ,		
			रोड, चेन्नई,
	कोयंबटूर(8202), मदुरै(8204),		तमिलनाडु -600006
	तिरुचिरापल्ली(8206),	L	(www.sscsr.gov.in)

	तिरुनेलवेली(8207), हैदराबाद(8601), वारंगल (8603)		
9.	पणजी(7801), अहमदाबाद(7001), राजकोट(7006), सूरत(7007), वदोदरा(7002), अमरावती(7201), औरंगाबाद(7202), जलगांव(7214), कोल्हापुर(7203), मुंबई(7204), नागपुर(7205), नांदेड(7206), नासिक(7207), पुणे(7208)		क्षेत्रीय निर्देशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 (www.sscwr.net)
r)	कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिकता के आधार पर ए	E = 1 0 - 7 - 7 - 7	55

- कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिकता के आधार पर एक ही क्षेत्र में तीन केंद्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में (ख) केंन्द्र के परिवर्तन के लिए किए गए अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।
- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को किसी भी (II) केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को किसी भी केंन्द्र के अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंन्द्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

12. परीक्षा की योजना

(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के ब्यौरों का नीचे उल्लेख किया गया है -

<u> </u>	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि
	तर्कशक्ति	50	50	2 घंटे
	सामान्य जानकारी	50	50	(ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें उपरोक्त
111	अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञा	100	100	पैरा 7(क) और 7(ख) के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा प्राप्त करने
	e descrits	 सामान्य बद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति सामान्य जानकारी अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान्याः 	प्रश्ना का संख्या संख्या 50 तर्कशक्ति । सामान्य बद्धिमत्ता एवं 50	प्रश्ना का अधिकतम संख्या अंक कि तर्कशक्ति 50 50 सामान्य जानकारी 50 50

- (ख) प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अंग्रेजी तथा हिन्दी में तैयार किए जाएंगे।
- (ग) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का
- (घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का अंतिम योग्यता सूची और कट्-ऑफ अंकों का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- (ङ) परीक्षा के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं तथा आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अभ्यावेदन, यदि कोई है, 100 रुपए प्रति प्रश्न का भुगतान करके केवल ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय, आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन की संवीक्षा की जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त विषय पर किसी भी अन्य माध्यम अर्थात पत्र, आवेदन, ई-मेल, इत्यादि से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया

- (च) विज्ञप्ति में दी गई परीक्षाओं की तारीखें अनंतिम हैं। परीक्षाओं की अनुसूची में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।
- (छ) अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुन: जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति के लिए निश्चयार्थ पाठ्यक्रमः

- (क) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशिक्तः इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, अन्तराल संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं आकृति संबंधी वर्गींकरण, अंकगणितीय संख्याशृंखला, गैर-शाब्दिक शृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा।
- (ख) सामान्य जानकारी: इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थीं के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेलकूद, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती।
- (ग) 40 % और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता और प्रलिपिक का विकल्प देने वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति/सामान्य जानकारी प्रश्नपत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।
- (घ)अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान: अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ की जांच करने के अतिरिक्त, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना,समानार्थक,विलोमार्थक और उसका सही प्रयोग इत्यादि, उसकी लेखन योग्यता की जांच भी की जाएगी।

(इ) आशुलिपि में कौशल परीक्षा

(i) जो अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शॉर्टिलस्ट होंगे उन्हें आशुलिपि की कौशल परीक्षा में बैठना होगा। अभ्यर्थियों को आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के लिए 100 शब्द प्रित मिनट (श.प्र.मि.) की गित से और आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के लिए 80 शब्द प्रित मिनट (श.प्र.मि.) की गित से 10 मिनट के लिए अंग्रेजी/ हिन्दी (अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में चुने गए विकल्प के अनुसार) में एक श्रुतलेख दिया जाएगा। इस सामग्री को कंप्यूटर पर लिप्यांतरित करना होगा। लिप्यंतरण के लिए समय निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद	कौशल परीक्षा	समयावधि	उपर्युक्तपैरा-7 (क) एवं (ख) के अनुसार
		की भाषा	(मिनटों में)	प्रलिपिक की सुविधा पाने के पात्र अभ्यर्थियों
			100	के लिए समयावधि (मिनटों में)
1	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	अंग्रेजी	50	70
2	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	हिन्दी	65	90
3	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	अंग्रेजी	40	55
4	आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	हिन्दी	55	75

- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उसे अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और इसी प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जो अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप से सीखनी पड़ेगी, ऐसा न करने पर नियोक्ता विभाग अथवा प्राधिकारी द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं मानी जाएगी। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की कौशल परीक्षा का माध्यम जो कोई भी रहा हो, उसे प्रयोक्ता कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपिक के रूप में कार्य करना होगा।
- (iii) कौशल परीक्षा आयोग के क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में या आयोग द्वारा यथा-निर्धारित अन्य केन्द्र(केंद्रों) पर आयोजित की जाएंगी।
- (iv) कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाएंगे।
- (v) कौशल परीक्षा मूल्यांकन के नियम संबंधी मानक अनुदेश आयोग की वेबसाईट के "Candidate's Corner" भाग में उपलब्ध है।

14. परीक्षा में प्रवेश

- (क) उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रोल नम्बर और प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शतों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस के बाद, इसमे सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा।
- (ख) आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की गहन जांच नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता सिर्फ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि को ध्यान पूर्वक देख कर स्वयं को संतुष्ट करें कि वे उस पद(पदों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएगी। संवीक्षा के समय, अगर आवेदन में किए गए किसी भी दावे को सही नहीं पाया गया तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।
- (ग) परीक्षा संबंधी प्रवेश-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (https://ssc.nic.in) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय, जिनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र स्थित है (ब्योरा पैरा 11(क) पर है), की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।
- (घ) परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक अपना ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर न मिले तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।
- (ङ) अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- (च) प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश-पत्र की प्रिंट आउट प्रति लेकर आना होगा।
- (छ) प्रवेश-पत्र के अलावा, अभ्यर्थी को हाल के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण के लिए फोटो लगा कम से कम एक पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना होगा, जैसे
 - i. आधार कार्ड/ आधार कार्ड का प्रिंट आउट
 - ii. मतदाता कार्ड
 - iii. ड्राइविंग लाइसेंस
 - iv. पेन कार्ड
 - v. पासपोर्ट
 - vi. विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
 - vii. नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी)
 - viii. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवामुक्ति पंजिका
 - ix. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र
- (ज) अगर फोटो पहचान-पत्र में जन-तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्म-तिथि के प्रमाण से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र मूल रूप में लाना होगा। प्रवेश-पत्र में अंकित जन्म-तिथि और जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर लाए गए फोटो प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- (झ) पैरा ७(क) और ७(ख) के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी को अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण-पत्र/अंडरटेकिंग/ दिव्यांगजन के फोटो पहचान-पत्र की प्रति, जैसा इसमे निर्दिष्ट किया गया है, लाना होगा। बिना उपरोक्त दस्तावेज़ के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
- (ञ) परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा।
- (ट) धुंधला फोटोग्राफ और/या हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

15. दस्तावेज सत्यापन :

- (क) दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा 15(घ) के अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी प्रतिलिपि के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आना अपेक्षित है।
- (ख) अभ्यर्थियों से विभिन्न पर्दो और विभागों के लिए विस्तृत विकल्प दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा। अभ्यर्थी को उस मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसकी वरीयता उसने सूचित न की हो। दस्तावेज़ सत्यापन के समय पुष्टि किए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और उसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को विकल्प भरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती हैं।
- (ग) पदों/विभागों के लिए या तो ऑनलाइन अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय वरीयता देते समय, अभ्यर्थी ध्यान दें कि सीमा सड़क संगठन की शारीरिक मानकों, शारीरिक मापदंडों और चिकित्सीय मानकों की विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और सीमा सड़क संगठन में उनका नामांकन होने के पश्चात, सीमा सड़क संगठन द्वारा शारीरिक मानकों की माप, शारीरिक और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक/चिकित्सीय मानकों इत्यादि के संबंध में सीमा सड़क संगठन द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुबंध -XV पर उपलब्ध है।
- (घ) दस्तावेज़ सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को हाल का पासपोर्ट आकार का दो रंगीन फोटो और एक फोटो पहचानपत्र साक्ष्य मूल रूप में लाना होगा। फोटो पहचान-पत्र निम्न हो सकते है:-

- i. आधार कार्ड/ आधार कार्ड का प्रिंट आउट
- ii. मतदाता कार्ड
- iii. पेन कार्ड
- iv. पासपोर्ट
- v. ड्राइविंग लाइसेंस
- vi. विद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र
- vii. नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी)
- viii. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा पंजिका
- ix. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र
- (ङ) अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे:
 - i. मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाणपत्र
 - ii. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
 - iii. कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो परीक्षा-विज्ञप्ति की अपेक्षाओं के अनुसार दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
 - iv. जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।
 - v. निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, अगर लागू हो।
 - vi. भूतपूर्व सैनिक(भू.सै.) के लिए:
 - 1) अनुबंध-VI के अनुसार कार्यरत रक्षा कर्मी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।
 - 2) अनुबंध-VII के अनुसार वचन-पत्र।
 - 3) सेवा-मुक्ति प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ हो।
 - vii. आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज़ा
 - viii. अनुबंध-V के अनुसार केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रमाण-पत्र।
 - ix. अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सरकारी/सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए।
 - x. जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
 - महिला की शादी के मामले में :- पित के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रिजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पित-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।
 - 2) महिला की दूसरी शादी के मामले में :-तलाकनामा/ या पहले पित की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और वर्तमान पित के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमे पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पित-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।
 - 3) महिला के तलाक के मामले में :- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।

- 4) दूसरी पिरस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम पिरवर्तन के लिए एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल किटंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) या गज़ट अधिसूचना।
- (च) प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़-सत्यापन के लिए जरूरी कोई अन्य दस्तावेज़।

16. चयन का तरीकाः

- (क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार हैं:
 - i. अनारक्षित: 30%
 - ii. अन्य पिछड़ी जातियाँ/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : 25%
 - iii. अन्य:20%
- (ख) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उन पदों का उल्लेख करना होगा, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं अर्थात आशुलिपिक श्रेणी 'ग' अथवा आशुलिपिक श्रेणी 'घ' अथवा दोनों।
- (ग) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को उन पद(पदों) के लिए कौशल परीक्षा (परीक्षाएं) देने हेतु श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिन पद(पदों) के लिए उन्होंने आवेदन किया है।
- (घ) कौशल परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन यह अर्हक स्वरूप की है। आयोग द्वारा प्रत्येक पद के लिए कौशल परीक्षा में श्रेणीवार अर्हता मानक निर्धारित किए जाएंगे। वे अभ्यर्थी जो कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर अंतिम चयन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा।
- (इ) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन और मंत्रालयों/विभागों को आबंटन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के कार्य-निष्पादन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।
- (च) पदों/विभागों के लिए या तो ऑनलाइन अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय वरीयता देते समय, अभ्यर्थी ध्यान दें कि सीमा सड़क संगठन की शारीरिक मानकों, शारीरिक मापदंडों और चिकित्सीय मानकों की विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और सीमा सड़क संगठन में उनका नामांकन होने के पश्चात, सीमा सड़क संगठन द्वारा शारीरिक मानकों की माप, शारीरिक और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक/चिकित्सीय मानकों इत्यादि के संबंध में सीमा सड़क संगठन द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुबंध -XV पर उपलब्ध है।
- (छ) अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता को अंतिम माना जाएगा और अपरिवर्तनीय होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद/विभाग में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा।
- (ज) आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पतों/विभागों की वरीयताओं के आधार पर पदों का अंतिम आबंटन करता है और एक बार पद का आबंटन कर दिया जाता है तो किसी पद की शारीरिक/चिकित्सीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता/जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य वरीयताओं के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (झ) अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै और शा.िद. श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयिनत होते हैं तो उन्हें आरिक्षत रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारिक्षत रिक्तियों में उस पद से

सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव, भूपूसै और शा.दि. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

- (ञ) अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे उसकी मेरिट स्थिति कुछ भी हो, को आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भू. पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को आयु में कटौती करने की अनुमित है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, शा.दि. अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।
- (ट) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो ।
- (ठ) सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- (ड) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्ते पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्ते पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- (ढ) इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे। परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा।
- (ण) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व(अ.भा.से.दा.) के हैं।
- (त) अंतिम चयन पर अभ्यर्थी को संबन्धित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल आवंटित किया जा सकता हैं। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित पद पर संबन्धित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा स्थायी करने हेतु उस आवंटित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की जरूरत पड़ सकती हैं।
- (थ) यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।
- (द) यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से एक वर्ष की अविध के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

17. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

उन मामलों में जहाँ अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

- क. भाग-। में अंक (अर्थात सामान्य बुद्धिमत्ता व तर्क शक्ति)
- ख. भाग-॥ में अंक (अर्थात सामान्य जानकारी)

- ग. जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
- घ. वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम	कदाचार का प्रकार	वारित
सं.		अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति,	2 वर्ष
	उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि	3 वर्ष
	आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत, करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि	7 वर्ष
	आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	
14	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित	7 वर्ष
	सामग्री जैसे अनिधकृत स्रोतों से नकल करना।	
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को	7 वर्ष 7 वर्ष
	हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	/ वष
	ण यदि स्टिन्स सम्बद्धी से द्वार मार्ग्य से स्टिन्स कार्य स्थापा	

(ख) आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. आयोग का निर्णय अंतिमः

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धिति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व पद आबंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. रोजगार केअवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.जा.39020/1/2016 -स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर या नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पित का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य/ अजा/ अजजा /अपिव / शादि/अल्पसंख्यक), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यताका निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करनेका विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. अयोग्यताः

कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पित या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पित या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञिप्त में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
(ख) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग) कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद(दों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/शा.दि के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के **(घ)** इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति(दि.व्य.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के (ङ) लिए आरक्षण के हकदार होंगे। जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को (च) अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए (छ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता(किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और (ज) माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अपाठ्य /धुंधर्ले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को पर निरस्त कर दिया जाएगा। (朝) एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति (죄) में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी (5) जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान (ठ) साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेवामुक्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 7(क) और 7(ख) में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र /प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा। किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर (ड) कैफे को उत्तरदायी समझा जाएँगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के (ৱ) किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी (ण) कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।

(त) यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।

(थ) देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा),अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा शारीरिक दिव्यांग (शा.दि.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

(द) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञिप्त प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह स्पष्टतः फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। ऐसे बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।

अवर सचिव (नीति एवं योजना-II)

अनुबंध-1

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग	अभ्यर्थी	का नाम),	सुपुत्र/सुपुत्री
, ग्राम/जिला/राज्य	के	निवासी	हैं, जोकि
(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप औ	र उसकी प्र	तिशतता) से	पीड़ित हैं, की
जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे	उनकी लेख	वन क्षमताएं !	प्रभावित होती
हैं।			

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक नाम व पदनाम सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी:

संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं
मै सूचित करता/करती हूं कि(प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।
मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यताहै। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।
(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर) स्थान: तारीख:

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.एक बारगी पंजीकरण

II.परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

- 1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- 2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा।)

i.वोटर आईडी कार्ड

ii.पैन

iii.पासपोर्ट

iv.डाइविंग लाइसेंस

v.स्कूल/कॉलेज आई डी

vi.नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसय्/प्राइवेट)

- घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
- ङ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
- 3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.nic.in पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें |
- 4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. प्रारंभिक विवरण
 - ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
 - ग. घोषणापत्र।
- 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :
 - क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मितिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
 - ख. क्रम संख्या- 1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।

- क्रम संख्या- 2: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। ग. यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ घ.
- क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया
- क्रम संख्या -4: अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में ङ. दिया गया है।
- क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी ਚ,
- क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है: छ.

i.शिक्षा बोर्ड का नाम

ii.रोल नंबर

iii.उत्तीर्ण होने का वर्ष

- ज. क्रम संख्या -7: लिंग
- क्रम संख्या -8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम) झ.
- क्रम संख्या -9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम স. पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के ₹. माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें। ਰ.
- जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर ड. और ईमेल आईडी की पृष्टि करने की आवश्यकता होगी। पृष्टि होने पर आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे ₲. गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो ण. जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन त.
- सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी थ. प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। द.
- क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें ध.
- क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में न. उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या 15-से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई डी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- य. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
- 6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' केवल दो बार बदला जा सकता है। **इसलिए एक बारगी पंजीकरण** करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।
- 7. आपको पुन :सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध -।।। क (1/4)

एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र का स्क्रीनशॉट

अनुबंध -।।। क (2/4)

चित्र

अनुबंध -।।। क (3/4)

चित्र

अनुबंध -।।। क (4/4)

चित्र

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

- 1. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:
 - क. हाल ही की (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुरानी न हो) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन की गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ। छिव का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ टोपी, चश्मा के बिना होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। धुंधली फोटो वाले आवेदन भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
 - ख. जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 2. अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉगइन करें।
- 3. 'नवीनतम अधिसूचना' टैब के अंतर्गत 'आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2020 'लिंक पर क्लिक करें।
- 4. क्रम सं. -1 से 14 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी विवरण में संशोधन करना चाहतें हैं तो ऊपर बाएं कोने मे दिए गए कोने में 'पंजीकरण संशोधन' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन करें।
- 5. क्रम सं. -15: चयन करें कि आप आशुलिपि जानते हैं अथवा नहीं। यदि आपको आशुलिपि का ज्ञान होगा तभी आपको आवेदन करने कि अनुमति दी जाएगी।
- 6. क्रम सं. -16: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी प्राथमिकता दें। आप एक ही क्षेत्र में परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता क्रम में तीनों केंद्रों के लिए विकल्प दें।
- 7. क्रम सं. -17: यदि आप भूतपूर्व सैनिक है, तो आवश्यक जानकारी भरें । सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है ।
- 8. क्रम सं.-18: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा सं 7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा उपलब्ध करने के लिए पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- 9. क्रम सं.-19: कौशल परीक्षा के माध्यम का चयन करें, अंग्रेजी या हिंदी। बाद में कौशल परीक्षा के माध्यम के विकल्प को बदला नहीं जाएगा।
- 10. क्रम सं. -20: आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें, जैसे- (i) 'आशुलिपिक ग्रेड 'ग' या (ii) 'आशुलिपिक ग्रेड 'घ' या (iii) दोनों। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहें हैं, बाद में उसमें किसी परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 11. क्रम सं. -21: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
- 12. क्रम सं.-22: उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दें।
- 13. क्रम सं.-23: अर्हक शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण दें।
- 14. क्रम सं.-24: परीक्षा कि विज्ञप्ति का पैरा 20 देखें और तदनुसार भरें।
- 15. क्रम सं. -25, 26 और 27 : वर्तमान और स्थायी पता से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत :भर जाएगी।
- 16. अपना हाल ही का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुराना न हो) जैसा कि क्रम सं. -1 क में निर्दिष्ट है। सुनिश्चित करें कि जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह उस

फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी है क्योंकि तारीख रहित फोटो वाला आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। धुंधली फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

- 17. उपरोक्त क्रम सं. 1 ख पर अपने हस्ताक्षर का नमूना अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर विए जाएंगे।
- 18. परीक्षा में बैठने हेतु अपने द्वारा दिए जाने वाले घोषणापत्र का अवलोकन करें और यदि सहमत हों तो ''मैं सहमत हूं'' चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरें।
- 19. आपके द्वारा दी गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी प्रविष्टि को संशोधित करना चाहते हैं, तो 'संपादित करें / संशोधित करें ' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित सुधार करें। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वावलोकन करें और सत्यापित करें और आवेदन जमा करें । आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।
- 20. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
- 21. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा- 10 का संदर्भ लें।
- 22. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबिमट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। सामान्यत: किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, तथापि यदि डेटा में विसंगति होने पर आयोग प्रिंट आउट मांग सकता है।

<u>अनुबंध-IV क (1/3)</u>

चित्र

अनुबंध-IV क (2/3)

चित्र

<u>अनुबंध-IV क (3/3)</u>

चित्र

अनुबंध-V

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तृत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र (उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि	⁵ *श्री/श्रीमती/कुमारी	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो
रू. के वेतनमान में कर चुके है।	के पद पर अंतिम तारीख	व के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा
		हस्ताक्षर
		नाम
स्थान:		कार्यालय की मुहर
दिनांकः		
(* कुपया जो शब्द लाग न हो उन्हें कार हें)		

<u>अनुबंध-VI</u>

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)				
(रैंक)	(नाम)	(दिनांक)	को सशस्त्र सेना में अपनी	
नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।				
	- 			
स्थानः		(
स्थानः		(कमान अधिकारी के	हस्ताक्षर)	
← :-				
दिनांकः		कार्यालय की ग्	गुहरः	

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैंपरीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:
(क) मैं समय रैंक पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।
(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा
(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक
मैं एततद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर भेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी।
हस्ताक्षर: नाम:
अनुक्रमांकः
दिनांक:
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:
कार्यमुक्ति की तिथि:
अंतिम इकाई / कोर:
मोबाइल नंबर:
ईमेल आईडी:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*_____ पुत्र/पुत्री_ निवासी _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____ @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____ @संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 ______ @संविधान (अनुसूचित जनजाति) संध राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 [अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986, गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित ।] @संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 @अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 _____ @संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 @संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 @संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 @संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 @ संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968 @संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968 @संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @ संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991

@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991					
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002					
@संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002					
@संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002					
@ संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002					
%2 यह उन अनुमुचित जातिर्गो अपानित कर्ना है ।					
%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।					
यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* के माता/पिता श्री/श्रीमती निवासी					
ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग* गज्य/संघ गज्य थेन*					
अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो					
दिनांक द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।					
अर्थ में अर्थ के अर्थ के अर्थ में विश्व के किए में मान्यता प्राप्त है।					
%3 श्री/श्रीमती/कुमारी और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहता है।					
हस्ताक्षर					
**पदनाम					
(कार्यालय की मुहर सहित)					
राज्य / संघ शासित क्षेत्र*					
स्थान					
दिनांक					
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।					
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।					
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।					
टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्दों का सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।					
**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-					
(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट /वालका परिस्ट्रोन करने के किन्तु कर के किन्तु करने कि कर्					
मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट /तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।					
(+प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का न हो)					
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट					

- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
- (v) प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

अनुबंध-IX

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वगों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का
प्रपत्र)
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री
ग्राम/कस्बा जिला/संभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं दिनांक* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-
श्री/श्रीमती/कुo तथा/या उनका परिवार सामान्यत: राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 9 मार्च, 2004, का.स. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था(रिज), दिनांक27 मई 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।
हस्ताक्षर पद दिनांक:
मुहर
*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।
** समय और का पर यथा संशोधित
\$ अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची वही है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकारप्राप्त प्राधिकारियों की सूची है।
टिप्पणी-:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या	दिनांक				
वर्ष के लिए मान्य					
यह प्रमाणित करना है कि	श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र/पुत्री/पत्नी			
स्थायी निवासी	गाँव/गली	डाकघर			
जिला	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पिन कोड			
जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की	गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है	क्योंकि वित्त वर्ष के			
लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक	आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपरे	ये) से कम है। उनके/उसके परिवार के			
पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :					
 I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ; II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट; III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड; IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड। 					
2. श्री/श्रीमती/कुमारी	का संबंध	जाति से है जिसे अनुसूचित जाति,			
अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।					
	कार्यालय की मुहर के सा	थ हस्ताक्षर			
		नाम			
		पदनाम			
अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ					

- * टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।
- ** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
- *** टिप्पणी 3: ईंडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

अनुबंध -XI

प्रारूप-V

निशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में) [नियम 18(1) देखें]

~		[((((),(0)),(0))	
(प्रमाण-पत्र जारी	करने वाले चिकित्सा प्रा	धेकारी का नाम एवं पता)	Treat -
		,	निशक्त व्यक्ति का हाल
			ही का पासपोर्ट आकार
			का अनुप्रमाणित फोटो
			(केवल चेहरे का)
प्रमाण पत्र सं	दिनांक		
	ાવનાવા		
प्रमाणित किया जात	। है कि मैंने श्री/ श्रीमती /	कुमारी	सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री
	जन्म तिथि	(दि/म/व) आयु	सुपुत्र/ पत्ना / सुपुत्रा
पंजीकरण संख्या	ਪ ਨਸਤ ਤਂ	(ाद/म/व) आयु	वर्ष पुरूष/ महिला
		VIS/100/100/1	
क स्थाया ।-	विस्ति हैं, जिनकी फोटी उ	ज्ञानभाषा न डाकधर जपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक	ें जांच की है और मैं मंत्रहर ह ें हि.
(क) उनका मामला:			न राज्यार न राजुन्द हूं ।का:-
	~		
• गतिविषयव	^{चे दि} व्यागता		
• बौनापन	51		
•् नेत्रहीनता व	न है		
(जैसा भी लागू हे	ो, निशान लगाएं)		
(ख) उनके मामले मे -	निदान कि	या गया है ।	
(ग) वे दिशानिर्देशों	(दिशानिर्देश र	गुंख्या और उनको जारी राज्ये की न	
(शारीरिक अंग)(उल्लेर	व कों। के मंतंश में	%(अंकों में) % (क अनुसार अपने
			शब्दों में) स्थायी
14-41-101	(जानायन/नत्रहानता स प	डित है।	
2. आवदक ने आवास	के प्रमाण के रूप में निम्न	ालिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:	
दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी	
	10 Marie Approximate (1 Marie 1 Marie	ा प्राथिकारी वाल प्राधिकारी व	का ब्योरा
			438

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रारूप-VI

निशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु निशक्तता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

		्रानयम	18(1) दख]	
(प्रमा	ण-पत्र जारी करने वाले चिकित्स	ग प्राधिकारी का नाम एव	ां पता)	निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट
				आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल
				चेहरे का)
प्रमाण	ा पत्र सं दि	नांक		
_		-		
प्रमाणि	त किया जाता है कि मैंने श्री/ श्री	मिती / कुमारी 		सुपुत्र/पत्नी / सुपुत्री
	 जन्म तिथि	(दि/म	7a) आयु	वर्ष पुरूष/ महिला पंजीकरण
				जिला राज्य -
				जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-
SIZ VAID	या गामासा छ, ग्यामय काटा छ	गरा जगनगंजा गर छ, जग	साययानापूपक	जाय का ह आर म सतुष्ट हूं कि:-
(क) उ	नका मामला बह निशक्तता का	है। उनकी शारीरिक निश	क्ता/दिव्यांगत	का दिशानिर्देशों(दिशानिर्देश संख्या
				ं के लिए मूल्यांकन किया गया है और
उस नि	म्नलिखित सारणी में उपयुक्त नि	शक्तता के समक्ष दशोया	गया है:-	
The state of the s	T C	1-0-3-	16	
क्र. ·	निशक्तता	शरीर के प्रभावित	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक
सं.	1	अंग		दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
1.	नात ध्वयवम दिञ्जानता	(W)		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
			<u> </u>	
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात		-	
<i>J</i> .	प्रमासाम्बाय प्रवापात			
6.	तेजाब के हमले में जले			
0.000	पीड़ित			
	, .			
7.	अल्प दृष्टि	#		
		<u></u>		
8.	नेत्रहीनता	#	0	
	बधिरता	<u> </u>	<u> </u>	
9.	बाधरता	£	1	

10.	श्रवण दिव्यांगता	£	1	
	Appellation in the public before the control of			
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी		400, 100, 100	
	दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
910				
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
	-गाउरम् रमग्रुम् ।वयग्रर्			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी	W 09 200		
10.	विकार			
	IMAN			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस		<u> </u>	
18.	पार्किन्सन बीमारी			
10.	पाकिन्सन बामारा			
19.	हेमोफिलिया		100 to took was	
	200	-10		
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिसीज़		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	1-14000 W 00000 P0000000, N 1444, P144			
		#R 2 C C		
(ख) उपर	कित के संदर्भ में उपनी कार क	- 22 6		
(G) 019	पुष्पा क सदम म, उसका समग्र स्थार जन्म	ग शासीरक दिव्यागता	दिशानिर्देशों	(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी
करन का	तारीख का उल्लेख किया जाए) के	अनुसार निम्नलिखित	है:	
अंको में .	प्रतिशत			
	15.000			
शब्दों में	प्रतिशत			
2		V		
2. उपयुक्त	स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इस	में सुधार होने की संभा	वना है/ सुधार होने व	ही संभावना नहीं है ।
	ता का पुनःनिर्धारण:			
Steph of Edithiers	3.11.1410-1,			
(i) आ	वश्यक नहीं है			
	अथवा			
(ii)	ਰੁਖ ਸਭ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਤ			
(तारीक)	माह के पश्चात	पुनः।नधारण का सिफ	रिश की जाती है अं	ौर इसलिए यह प्रमाणपत्र
(dixid)	(माह)(वर्ष) तक	न्मान्य रहेगा।		
@ उदाहरण	ातः बाएं/दाएं/दोनों	बाहें/टांगे		
# उदाहरण	तः एक आँख			

£ उदाहरणत:

बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर
	-	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XIII

प्रारूप-VII

निशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18(1) देखें]

प्रमाण पत्र सं दिनांक -			निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)
या, जोकि मकान नं	(१४१७/४) जार् वार्टियांच्याची	3	वष पुरूष/ महिला पंजीकरण
के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो निशक्तता से पीड़ित हैं। म और उनको जारी करने की तारीख़ का उट	ऊपर चिपकायी गई है, उनकी शारीरिक निशक्त	की सावधानीप ता/दिव्यांगता	जिला र्विक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे का दिशानिर्देशों(दिशानिर्देश
सं. निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
गति विषयक दिव्यांगता	@		(,,,
	#		
Constant	€		
No.5001-06-03	€	757	
विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
	ाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / व् 	या, जोिक मकान नं वार्ड/गांव/गली के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है,	ाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी

12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार				
13.	मानसिक बीमारी				
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार	1800			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			-	Ä T
16.	पार्किन्सन बीमारी	9			
17.	हेमोफिलिया	<u> </u>			
18.	थेलेसेमिया				8 8
19.	सिकल सेल डिसीज़	Service September 1			
	<u> </u>	715 <u>715 - 151 - 1</u>	1		

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार	होने की संभावना है,	/ सधार होने की	संभावना नहीं है।
---	---------------------	----------------	------------------

_				\sim	0
3.	निशक्तता	का	पनः	निध	ारण:
			0		

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(i	i)	वर्षम	ह के पश्चात पुनः	निर्धारण की सिफ	रिश की जाती	है और इसलिए	यह प्रमाणपत्र	(तारीख)
580	(माह)	(वर्ष) त	क्र मान्य रहेगा।					

@ उदाहरणतः

बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः

एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरणत:

बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा
<u> </u>	Leger store	

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कोड:

शैक्षिक योग्यता	कोड
इंटरमीडिएट/उच्चतर माध्यमिक/12वीं कक्षा	02
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	03
डिप्लोमा	04
बीए	05
बीए (ऑनर्स)	06
बी.कॉम.	07
बी.कॉम. (ऑनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (ऑनर्स)	10
बी.एड.	11
एलएलबी	12
बीई	13
बी.टेक.	14
एएमआईई (भाग-ए &भाग-बी)	15
बी.एससी. (इंजी.)	16
बीसीए	17
बीबीए	18
सशस्त्र सेनाओं द्वारा जारी मानद स्नातक प्रमाणपत्र	19
पुस्तकालय स्नातक.	20
बी.फार्मा.	21
आईसीडब्ल्यूए	22
सीए	23
पीजी डिप्लोमा	24
एमए	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एमएड.	28
एलएलएम	29
एमई	30
एम.टेक.	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एमसीए	33
एमबीए	34
अन्य	35
- 100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	

सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा

- (i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की ''अनुसूची-I'' के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केन्द्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केन्द्र में किया जाएगा।
- 2. शारीरिक मापदंड: जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की ''अनुसूची-॥'' में उल्लेख किया गया है।
- 3. (क) चिकित्सा मानक : अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सिंहत उनके कार्य-स्वरूप कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की 'अनुसूची-॥।' में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (ख) चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच: इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनिफट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उल्लेख उत्तरवर्ती उप पैरा में किया गया है:
 - (i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफ केन्द्र सहित संबंधित भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे तथा अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफ केन्द्र सहित प्रत्येक भर्ती केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
 - (ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

- (iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनिफट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद चिकित्सा बोर्ड द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।
- (iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो संवंधित भर्ती केन्द्र अथवा जीआरईएफ केन्द्र के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।
- (v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनिफट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानत: चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अन्दर दे दिए जाएं।
- (vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।
- (vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।
- (viii) <u>अस्थायी रूप से 'अनफिट'</u>- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।
- चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित (क) किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केन्द्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुन: 'अनिफट' पाया जाता है तो उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

- (ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनिफट- शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनिफट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता अथवा किमयों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यि जीआरईएफकेन्द्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थित में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थित में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने के माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनिफट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी। पुन: मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थित में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।
- (ix) स्थायी रूप से 'अनफिट' स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:
- चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनिफट' चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनिफट' घोषित (क) किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेन्द्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुन: चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनिफट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।
- (ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनिफट'- जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनिफट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफ केन्द्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल

क्षेत्रीय भर्ती टीम (एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी।

- (x) दृष्टि संबंधी मापदंड- दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमित है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।
- (xi) शिल्य चिकित्सा- यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है(उदाहरणत: हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोटॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलिसस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनिफट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनिफट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात 2 माह के भीतर। ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।
- (ग) चिकित्सा योग्यता : इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे।
 - (i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कितपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।
 - (ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा। निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा।
 - (iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा।
 - (iv) जीआरईएफ केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा।

- 4. अभ्यर्थिता रद्द करना : यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5. नियमों में छूट की शक्ति : जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।
- 6. व्यावृति: इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची-I

क्रम संख्या	कार्यकलाप	अधिकतम अंक	उपलब्ध समय
1	एक मील की दौड़	केवल परीक्षा पास करनी अनिवार्य है।	10मिनट

(ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अईता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा पास करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

अनुसूची-∏

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्र सं.	10000000	सम्मिलित राज्य /क्षेत्र	10V2 90V3	शारीरि	क मानक	9 65 - 1-10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
क	पश्चिमी हिमालय		1 1	न्यूनतर ऊंचाई	म सीना	न्यूनतम वजन
		जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पं के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और पं के मध्य अंतर्राज्य सीमा के दक्षिणी एर पश्चिमी क्षेत्र तथा मुकेरियन होशियारपुर सड़क के उत्तर एवं पूर्व की ओर के क्षेत्र गढ़शंकर, रोपड़ व चंडीगढ़), उत्तराखंड	जाब वं की	158 से	मी न्यूनतम 75 से (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	ोमी 47.5 किग्रा
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिकिम,नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अस् और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंगपोंग जिले तथा अण्डमान निकोबार)	-	152 सेम	ि न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	10.0	162.5 नेमी	न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का	50 किग्रा.
घ ड.	पूर्वी मैदानी क्षेत्र मध्य क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखण्ड	I	57 सेमी	विस्तार न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किया.
		गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	15	57 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का	50 किया.
		आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुद्दुचेरी, तेलंगाना	15	7 सेमी	विस्तार न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किय्रा.
 	विरत/पूर्व जीआरईएप १. १ १. १	क कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट	2 से	मी —	1 सेमी	25
प	गडा मामला म छूट (3 रंतु अन्य संबंधियों के	मिन स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू लिए लाग नहीं)	2 से	51-51 T	1 सेमी	2 किग्रा. 2 किग्रा.
	गोरखा (भारतीय निवा	सी)	152	- 1	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5किया.

अनुसूची-III

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रयाप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ अच्छा होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी की राय में विशेष रूप से ऊंचाई वाले और कठिन क्षेत्रों में भर्ती करने के लिए उसे कोई शारीरिक संरचना संबंधी अथवा अधिग्रहित विकलांगता न हो। अन्यथा उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता हैं।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतः वस्त्र पहनने की अनुमित दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्कील, अभद्र या अपित्तजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी किमयों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामांकन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं। चिकित्सा जांचकर्ता अभ्यर्थी के किसी दोष से संबंधित टिप्पणी हस्तलेख में दर्ज करेगा।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2क

- 4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2क की सारणी संख्या 1 में दी गई चिकित्सा मदों को पूरा करेगा।
- इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टिओं की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति

के साथ घोर अन्याय होगा। अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं।

व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त 6. रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमी पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों के चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंद्

- 7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-
 - क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)
 - ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।
 - ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई असामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।
 - घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।
 - ङ. कि वह ग्रंथियों की सूजन से पीड़ित नहीं है।
 - च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।
 - छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।
 - ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।
 - झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।
 - ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।
 - ट. कि उसमें किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।
 - कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।
 - ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

- 8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगा:-
 - क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)
 - ख. असामान्य चाल
 - ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)
 - घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, सपाट पैर)
 - ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि
 - च. बधिरता

- छ. हकलाना
- ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है हाईपरथायरोडिसिस और टैकीकार्डिया (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)
- झ. यौन संचारित रोग
- ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घुमना
- ट. वर्णांधता के मामले
- ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस
- ड. कान के पर्दे में छेद
- ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका
- ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत
- त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण
- थ. अंतःस्त्रावी विकार
- द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप >140/95mm Hg)
- ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले
- न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन
- प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो
- फ. स्थाई टैटू केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर ही अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपित जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार

- 9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार है:-
 - क. प्टेरिजियम
 - ख. नेत्र शोध
 - ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)
 - घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III
 - ङ. विपथित नासिका झिल्ली
 - च. गलसुओं की दीर्घ कालिक सूजन
 - छ. कुछेक दांतों में सड़न (डैंच्योर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)
 - ज. पिट्रीएसिस वेर्सिकॉलर
 - झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि
 - ञ. प्लैंटर मस्से
 - ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील
 - ठ. वेरीकोस वेंस
 - ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर

- बसन नली में अत्यधिक संक्रमण
- ण. गाइनेकोमस्टिया
- त. रक्त क्षीणता
- थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली
- द. 30 से ऊपर वीएमआई (तीन महीने के भीतर वीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

अल्प दोष वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता

- 10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-
 - क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।
 - ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)
 - ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)
 - घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर
 - ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)
 - च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।
 - छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा
 - ज. थोड़ा हकलाना
 - झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर
 - ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर
 - कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)
 - ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता
 - ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर
 - ढ. वेरीसिस का कम स्तर
 - ण. टिनिआ वेर्सिकोलर
- त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)
 - थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भों में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में दर्ज किया जाए। अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

किसी अनिफट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

- (ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा <u>अस्थाई रूप से अयोग्य</u> घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।
- 12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ. में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।
- 13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी किमयों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/मेड/2 क में नोट किया जाए।
- 14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्राय: कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यत:, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।
- 15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण निरस्त किए गए सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

